रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 438] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 30, 2016/अग्रहायण 9, 1938
No. 438] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 30, 2016/AGRAHAYANA 9, 1938

## अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2016

## अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

## (तकनीकी संस्थाओं के लिए अनुमोदन की मंजूरी)

## विनियम, 2016

**एफ. सं. अनुमोदन ब्यूरो/अभातशिप/आरईजी/2016.—**अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52) की धारा 10 और धारा 11 के साथ पठित धारा 23 की उप–धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अभातशिप द्वारा नई तकनीकी संस्थाओं को आरंभ करने, पाठ्यक्रमों अथवा कार्यक्रम आरंभ करने और पाठ्यक्रमों अथवा कार्यक्रमों के लिए सीटों की प्रवेश क्षमता में वृद्धि/परिवर्तन संबंधी अनुमोदन प्रदान करने तथा विद्यमान तकनीकी संस्थाओं के लिए अनुमोदन का विस्तार करने के बारे में **फाईल संख्या 37–3/विधिक/ अभातशिप/2012 द्वारा दिनांक 27 सितम्बर, 2012** को भारत के राजपत्र में अधिसूचित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (तकनीकी संस्थाओं के लिए अनुमोदन की मंजूरी) विनियम, **2012** तथा विद्यमान संस्थाओं के लिए पार्श्विक प्रवेश के अन्तर्गत डिग्री इंजीनियरी कार्यक्रमों में प्रवेश के संदर्भ में **फाईल संख्या 37–3/विधिक/2007 द्वारा दिनांक 12 जनवरी, 2007** के अधिक्रमण में, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् निम्नलिखित विनियम बनाती है :–

**1. संक्षिप्त नाम, प्रयोज्यता और प्रारंभ :**

1.1 इन विनियमों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (तकनीकी संस्थाओं के लिए अनुमोदन की मंजूरी) विनियम, **2016** कहा जाएगा।

1.2 ये तकनीकी शिक्षा संचालित कर रही और/अथवा तकनीकी शिक्षा का संचालन करने की इच्छुक तकनीकी संस्थाओं तथा अधिनियम में अधिसूचित ऐसे अन्य पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों और अधिनिमय में अधिसूचित क्षेत्रों पर लागू होंगे।

1.3 ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

**2. परिभाषाएं :**

इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

2.1 "शैक्षणिक वर्ष" से अभिप्रेत है संबंधित संबद्धक विश्वविद्यालय/बोर्ड और/अथवा तकनीकी संस्था का शैक्षणिक वर्ष।

2.2 "अधिनियम" से अभिप्रेत है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52)।

2.3 "अभातशिप के वेब–पोर्टल" से अभिप्रेत है यूआरएल www.aicte-india.org पर परिषद् द्वारा होस्ट की गई वेबसाईट।

2.4 "अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका (एपीएच)" से अभिप्रेत अभातशिप द्वारा प्रतिवर्ष नए/विद्यमान संस्थानों द्वारा विभिन्न अनुमोदनों हेतु जमा किए जाने वाले आवेदनों पर प्रक्रमण हेतु मानक निर्धारित करने के लिए प्रकाशित की जाने वाली अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका से है।

2.5 "आवेदक" से अभिप्रेत है ऐसा आवेदक जो इन विनियमों के अंतर्गत किसी भी प्रकार का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए परिषद् को आवेदन करता है।

2.6 ''अनुमोदित संस्था'' से अभिप्रेत है परिषद् द्वारा अनुमोदित संस्था।

2.7 "अनुमोदन में विस्तार (इओए) में रोक (ब्रेक)" से अभिप्रेत संस्थाओं द्वारा पिछले वर्ष प्राप्त किए गए अनुमोदन को रोकने से अभिप्रेत है।

2.8 "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (4)(क) के अंतर्गत यथावर्णित परिषद् का अध्यक्ष।

2.9 ''सह–शिक्षा संस्थान'' से पुरूषों, महिलाओं एवं किन्नर विद्यार्थियों को प्रवेश देने वाले संस्थान अभिप्रेत है।

2.10 "आयोग" से, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के खण्ड 4 के अन्तर्गत गठित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अभिप्रेत है।

2.11 "कम्पनी" से अभिप्रेत, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अधीन स्थापित की गयी कम्पनी से है।

2.12 "दाखिले के लिए सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है ऐसा संस्थान जो विधिक तौर पर प्रतिनिधि प्राधिकारी पदाधिकारी अथवा, जो संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में तकनीकी संस्थाओं में दाखिले के लिए शक्ति प्राप्त है।

2.13 "परिषद्" से अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अभिप्रेत है।

2.14 "पाठ्यक्रम" से कार्यक्रम में शिक्षण की शाखा अभिप्रेत है।

2.15 "प्रभाग" से अभिप्रेत है ;

इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी/होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी/अनुप्रयुक्त कला और शिल्प में स्नातकपूर्व कार्यक्रम, डिप्लोमा तथा पीजीडीएम/एमबीए/एमसीए में स्नातकोत्तर कार्यक्रम में अधिकतम साठ (60) सीटों का बैच, जिसमें अतिरिक्त सीटें, यदि कोई हों, शामिल नहीं हैं ;

वास्तुकला/नगर आयोजना में स्नातकपूर्व तथा डिप्लोमा कार्यक्रम में अधिकतम चालीस (40) सीटों का बैच, जिसमें अतिरिक्त सीटें, यदि कोई हों, शामिल नहीं हैं;

IndiaCode

भेषजी में स्नातकपूर्व कार्यक्रम में अधिकतम पचास (50) सीटों का बैच, जिसमें अतिरिक्त सीटें, यदि कोई हों, शामिल नहीं हैं;

भेषजी में डिप्लोमा कार्यक्रम में अधिकतम साठ (60) सीटों का बैच, जिसमें अतिरिक्त सीटें, यदि कोई हों, शामिल नहीं हैं;

इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी/होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी/अनुप्रयुक्त कला और शिल्प वास्तुकला/नगर आयोजना में स्नातकोत्तर कार्यक्रम में अधिकतम तीस (30) सीटों का बैच ;

भेषजी में स्नातकोत्तर कार्यक्रम में अधिकतम पन्द्रह (15) सीटों का बैच ;

इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी में एकीकृत डिग्री, एमसीए में एकीकृत डिग्री, एमबीए में एकीकृत डिग्री, स्नातकपूर्व कार्यक्रम, तथा डिप्लोमा कार्यक्रम में अधिकतम साठ (60) सीटों का बैच ; तथा

प्रबंधन में अध्येतावृत्ति कार्यक्रम में प्रतिवर्ष अधिकतम दस (10) सीटें।

2.16 "अनुमोदन में विस्तार (ईओए)" से अभातशिप द्वारा संस्थानों की तकनीकी कार्यक्रम चलाने के लिए दिया गया अनुमोदन में विस्तार अभिप्रेत है।

2.17 ''विशेषज्ञ दौरा समिति (ईवीसी)'' से अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में दी गई संरचना के अनुसार आवेदक संस्थाओं की भौतिक एवं ढांचागत सुविधाओं को सत्यापित (वेरीफाई) करने के लिए क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा गठित की गई विशेषज्ञ दौरा समिति अभिप्रेत है।

2.18 "कार्यकारिणी समिति" से अभिप्रेत है परिषद् द्वारा अभातशिप अधिनियम की धारा 12 के अधीन गठित समिति।

2.19 ''प्रथम पाली'' से उस समायावधि (प्रातः 8 से सांय 4 बजे तक) में चलाए जाने वाले कार्यकलाप अभिप्रेत है, जहाँ दो पालियाँ हैं।

2.20 "विदेशी राष्ट्रिक" से अभिप्रेत है भारत के अतिरिक्त सभी देशों के नागरिक, जो भारतीय मूल के नहीं हैं, जैसाकि ओसीआई/पीआईओ के अधीन परिभाषित है।

2.21 "सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संस्था" से अभिप्रेत है ऐसी तकनीकी संस्था, जो अपने आवर्ती व्यय के 50 प्रतिशत अथवा अधिक भाग की पूर्ति सरकार अथवा सरकारी संगठनों से प्राप्त अनुदान से करती है।

2.22 "सरकारी संस्था" से अभिप्रेत है सरकार द्वारा स्थापित और/अथवा अनुरक्षित तकनीकी संस्था।

2.23 ''संस्था का प्रमुख'' से अभिप्रेत है किसी विश्वविद्यालय अथवा मानित विश्वविद्यालय के मामले में कुलपति, प्राचार्य, निदेशक अथवा निर्दिष्ट तकनीकी संस्था के कार्यकारी संस्था प्रमुख के रूप में कोई अन्य पदधारी।

2.24 ''पार्श्विक प्रवेश'' से अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में दिए गए अनुसार विद्यार्थियों को डिप्लोमा/डिग्री/एमसीए कार्यक्रम के द्वितीय वर्ष में प्रवेश अभिप्रेत है।

2.25 ''स्तर''— से डिप्लोमा, पोस्ट डिप्लोगा, डिग्री, स्नातकोत्तर डिग्री तथा स्नातकोत्तर डिप्लोमा, अभिप्रेत है।

2.26 ''अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान'' से ऐसा महाविद्यालय अथवा शिक्षा संस्थान, जिसे अल्पसंख्यक अथवा अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित किया गया हो, प्रशासित किया जाता हो, तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अल्पसंख्यक महाविद्यालय अथवा संस्थान के रूप में मान्यता प्रदान की गई हो।

2.27 ''राष्ट्रीय प्रत्यायन मण्डल (एनबीए)'' से अभातशिप द्वारा सोसाईटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन स्थापित किया गया एक स्वायत्त निकाय'' राष्ट्रीय प्रत्ययन मण्डल अभिप्रेत है।

IndiaCode

2.28 "अनिवासी भारतीय (एनआरआई)'' से अभिप्रेत है ऐसा भारतीय नागरिक, जो सामान्यतया भारत से बाहर रहता है और भारतीय पासपोर्ट धारण करता है।

2.29 "विदेशी भारतीय नागरिक (ओसीआई)" से ऐसे विदेशी नागरिक जो 26.01.1950 को भारतीय नागरिक बनने हेतु पात्र थे अथवा 26.01.1950 को अथवा उसके पश्चात् किसी भी समय भारत के नागरिक थे अथवा किसी ऐसे क्षेत्र से आता है जो 15.08.1947 के पश्चात् भारत का एक हिस्सा बन गया है अभिप्रेत है। ऐसे व्यक्तियों के (माईनर बच्चे) भी ओसीआई के लिए पात्र होंगे। तथापि, यदि आवेदक पाकिस्तान अथवा बांग्लादेश का नागरिक है, तो वह ओसीआई के लिए पात्र नहीं होगा/होगी।

2.30 "अंशकालिक कार्यक्रमों" से अभिप्रेत है कि सांय 5:30 से सांय 9:30 तक (सप्ताह में छः दिन) संचालित किये जाने वाले क्रियाकलाप, जो कि ऐसे स्थानों पर चलाए जाते हैं, जहां पर पहले से ही पहली/सामान्य पाली चलाई जा रही हो तथा यह केवल कार्यरत व्यावसायियों अथवा कम से कम दो वर्ष का कार्य अनुभव रखने वाले व्यावसायियों के लिए ही होगी।

2.31 "भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ)'' से अभिप्रेत हैं विदेशी राष्ट्रिक (पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन, ईरान, भूटान, श्रीलंका तथा नेपाल को छोड़कर), जिन्होंने किसी भी समय भारतीय पासपोर्ट धारण किया है, अथवा जो, या उनके माता–पिता/पितामह (दादा–दादी, नाना–नानी) पर–पितामह (परदादा–दादी, परनाना–नानी) में से कोई भारत सरकार के अधिनियम, 1935 में परिभाषित किए गए अनुसार भारत तथा ऐसा अन्य प्रदेश जो बाद में भारत का हिस्सा बन गया था जन्में तथा स्थाई निवासी थें बशर्ते कि वह किसी भी समय उक्त उल्लिखित राष्ट्रों के नागरिक न रहे हों ; अथवा वह भारतीय नागरिक अथवा पीआईओ के पति अथवा पत्नी हों।

2.32 ''कार्यक्रम'' से अभिप्रेत है तकनीकी शिक्षा का क्षेत्र, अर्थात इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, एमसीए, वास्तुकला, नगर आयोजना, प्रबंधन–एमबीए, प्रबंधन–पीजीडीएम, भेषजी, होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी, अनुप्रयुक्त कला एवं शिल्प अथवा ऐसे अन्य कार्यक्रम और विषय–क्षेत्र जो अधिनियम द्वारा अधिसूचित किए जाएं।

2.33 "सार्वजनिक निजी सांझेदारी (पीपीपी)" से एक सरकारी अथवा स्वायत इकाई तथा दूसरी तरफ निजी सैक्टर इकाई के बीच अनुबंध एवं विशेष सुविधा आधारित समझौतें में सहभागिता अभिप्रेत है।

2.34 "क्षेत्रीय समिति" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत स्थापित क्षेत्रीय समिति।

2.35 "स्थाई अपीलीय समिति (एसएसी)" से तकनीकी संस्थाओं की अपील पर विचार करने के लिए अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में दिए गए अनुसार अध्यक्ष, अभातशिप द्वारा गठित की गई स्थाई अपीलीय समिति अभिप्रेत है।

2.36 ''एससीएससी'' से तकनीकी संस्थाओं के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की समीक्षा करने के लिए अध्यक्ष, अभातशिप द्वारा गठित की गई स्थाई शिकायत संवीक्षा समिति अभिप्रेत है।

2.37 "द्वितीय पाली" से (दोपहर 1 बजे से सांय 9:00 बजे तक की) वह द्वितीय समयावधि, जिसमें सामान्यतः तकनीकी संस्था के शैक्षणिक क्रियाकलाप संचालित किए जाते हैं अभिप्रेत है।

2.38 "निजी स्व–वित्तपोषित संस्था" से अभिप्रेत है किसी सोसाईटी/न्यास/कंपनी द्वारा शुरू की गई कोई संस्था, जो अपने आवर्ती व्यय की पूर्ति के लिए केन्द्रीय और/अथवा राज्य सरकार और/अथवा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन से अनुदान/निधि प्राप्त नहीं करती है।

2.39 "एकल पाली/नियमित पाली" से जहाँ तकनीकी संस्था के क्रियाकलाप प्रातः 9 बजे से सांय 5 बजे के बीच चलाए जाते है, अभिप्रेत है।

2.40 "सोसाईटी" से अभिप्रेत है सोसाईटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत सोसाईटी।

2.41 ''एसएचसी'' से ईवीसी रिपोर्ट तथा कारण बताओ नोटिस के सन्दर्भ में प्राप्त उत्तरों की समीक्षा तथा इसकी सिफारिशों को अनुमोदन हेतु कार्यकारिणी समिति (ईसी) को अग्रेषित करने के लिए अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में दिए गए अनुसार अध्यक्ष, अभातशिप द्वारा गठित स्थाई सुनवाई समिति अभिप्रेत है।

2.42 ''राज्य स्तरीय शुल्क समिति'' से तकनीकी संस्थाओं द्वारा प्रभारित किए गए शुल्क के विनियमन हेतु सम्बन्धित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अधिसूचित समिति अभिप्रेत है।

2.43 ''तकनीकी संस्थान'' से इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, एमसीए, वास्तुकला, नगर आयोजना, प्रबन्धन, भेषजी, होटल प्रबन्धन एवं खान—पान प्रौद्योगिकी, अनुप्रयुक्त कला एवं शिल्प तथा अधिनियम द्वारा अधिसूचित किए गए ऐसे ही क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा, प्रशिक्षण तथा शोध के क्षेत्र में कार्यक्रम/पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु न्यास/सोसाईटी/कम्पनी द्वारा स्थापित किए गए सरकारी सहायता प्राप्त तथा स्व—वित्त—पोषित संस्थान अभिप्रेत है।

2.44 "न्यास" से अभिप्रेत समय—समय पर संशोधित किए गए भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 अथवा अन्य संगत अधिनियम के अंतर्गत अध्यक्ष/प्रधान/सचिव द्वारा पंजीकृत न्यास अभिप्रेत है।

2.45 "विश्वविद्यालय" से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1960 की धारा 2 के खण्ड (च) में परिभाषित विश्वविद्यालय अभिप्रेत है।

2.46 इसमें प्रयुक्त अन्य सभी शब्दों एवं अभिव्यक्तियों, जिन्हें यहां परिभाषित नहीं किया गया है, परन्तु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52) में परिभाषित किया गया है, का वही तात्पर्य होगा, जो उन्हें क्रमशः उक्त अधिनियम में निर्दिष्ट किया गया है।

## 3. तकनीकी संस्थाओं के प्रवर्त्तक

### 3.1 कोई तकनीकी संस्था निम्नलिखित द्वारा स्थापित और प्रशासित की जाएगी :

क) सोसाईटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत कोई सोसाईटी ;
ख) समय पर समय यथा संशोधित भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 अथवा किसी अन्य प्रासंगिक अधिनियम के अंतर्गत न्यास के अध्यक्ष/प्रधान/सचिव के माध्यम से पंजीकृत कोई न्यास ;
ग) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत स्थापित कम्पनी ;
घ) केंद्रीय अथवा राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र अथवा उनके द्वारा पंजीकृत सोसाईटी अथवा न्यास ;
ङ) उपरोक्त (क), (ख), (ग), तथा (घ) में विनिर्दिष्ट किए गए निकाय के अतिरिक्त सार्वजनिक—निजी भागीदारी (पीपीपी) व्यवस्था के अंतर्गत स्थापित कोई निकाय अथवा केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से प्रचालित एवं स्थानान्तरण (बीओटी) नीति के अधीन बनाया गया कोई निकाय ; तथा
च) इन विनियमों की धारा 2.11 में अनुबद्धित कम्पनी, जिनकी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शेयर होल्डर के रूप में कोई भी विदेशी भागीदारी है, को तकनीकी संस्थान स्थापित करने हेतु आवेदन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

### 3.2 कम्पनी अथवा पीपीपी अथवा बीओटी मॉडल द्वारा स्थापित तकनीकी संस्थान अपने कार्यकालापों में निम्नलिखित सुनिश्चित करेंगे :

क) ये लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं हैं ;
ख) तकनीकी संस्थान संचालित करने से सृजित होने वाली आय का उपयोग तकनीकी संस्थान के कार्यों तथा विकास के लिए किया जाएगा ; तथा
ग) अप्रत्यक्ष रूप से घृति (होल्डिंग) नहीं होगी।

## 4. एक आवेदन के माध्यम से तकनीकी संस्थाओं के लिए अनुमोदन की मंजूरी

### 4.1 तकनीकी संस्थाओं के सभी प्रवर्त्तकों को निम्न के लिए परिषद् का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा :

क) डिप्लोमा/पोस्ट डिप्लोमा/डिग्री/स्नात्तकोत्तर डिग्री तथा स्नात्तकोत्तर डिप्लोमा/सहयोग स्तर के तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले तकनीकी संस्थान स्थापित करने शोध और प्रशिक्षण के क्षेत्र में भारत और विदेशी विश्वविद्यालयों/अथवा संस्थाओं के बीच आपसी सहयोग और टवीनिंग साझेदारी ;

IndiaCode

ख) विद्यमान संस्थाओं की स्थिति/स्थान में परिवर्तन ;
ग) संस्था को बंद करना ;
घ) केवल महिलाओं हेतु संस्था को सह–शिक्षा संस्था में परिवर्तित करना तथा सह–शिक्षा संस्था को केवल महिलाओं हेतु संस्था में परिवर्तित करना ;
ङ) डिप्लोमा स्तर को डिग्री स्तर तथा डिग्री स्तर को डिप्लोमा स्तर में परिवर्तित करना।

4.2 **तकनीकी संस्थाओं को निम्न के लिए परिषद् का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा :**

क) अनुमोदन का विस्तार ;
ख) विद्यमान संस्थाओं में नियमित/प्रथम पाली में विद्यमान राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) द्वारा प्रत्यायित वैध पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश क्षमता में वृद्धि/विद्यमान पाठ्यक्रमों में नए पाठ्यक्रमों को शुरू करना ;
ग) विद्यमान संस्थाओं में नियमित/प्रथम पाली में राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) द्वारा प्रत्यायित वैध पाठ्यक्रमों में एकीकृत/दोहरी डिग्री पाठ्यक्रम आरंभ करना ;
घ) विद्यमान संस्थाओं में प्रबंधन कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय बोर्ड (एनबीए) द्वारा वैध प्रत्यायन प्राप्त पाठ्यक्रमों में अध्येतावृति आरंभ करना ;
ङ) ओसीआई/पीआईओ/"विदेशी राष्ट्रिक/खाड़ी देशों मे कार्यरत भारतीय कामगारों के बच्चों हेतु अतिरिक्त सीटें आरंभ करना/जारी रखना ;
च) अनिवासी भारतीयों के बालकों के लिए अतिरिक्त सीटें आरंभ करना/जारी रखना ;
छ) प्रवेश क्षमता में कमी ;
ज) पाठ्यक्रम के नाम में परिवर्तन/कार्यक्रम तथा/अथवा पाठ्यक्रम को बंद करना ;
झ) संस्था के नाम में परिवर्तन ;
ञ) न्यास/सोसायटी/कम्पनी के नाम में परिवर्तन ;
ट) संबद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय/बोर्ड के नाम में परिवर्तन ;
ठ) पूर्ववर्ती शैक्षणिक वर्ष में दण्डात्मक कार्रवाई के आधार पर प्रवेश क्षमता में कमी /प्रवेश नहीं (नो एडमिशन) की वापसी ; और
ड) पूर्व में प्राप्त किए गए अनुमोदन में आंशिक रोक (ब्रेक) के बाद अनुमोदन को नियमित करना।

4.3 प्रवेश क्षमता में नॉन–जीरो प्रवेश क्षमता तक कमी करने तथा द्वितीय पाली पाठ्यक्रमों को बंद करने के लिए संबद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय/बोर्ड/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र से अनापत्ति प्रमाण–पत्र (एनओसी) प्राप्त करना अपेक्षित नहीं होगा।

4.4 पीजीडीएम पाठ्यक्रमों को बंद करने के लिए संबद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय/बोर्ड से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र (एनओसी) लागू नहीं है। तथापि इसके के लिए विशेषज्ञ दौरा समिति (ईवीसी) संचालित कि जाएगी तथा आवेदक को अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में निर्धारित किए गए अनुसार शुल्क का भुगतान करना होगा।

4.5 जहाँ विशेषज्ञ दौरा समिति (ईवीसी) संचालित कि जाएगी वहाँ पाठ्यक्रमों प्रवेशक्षमता की वापसी (रीस्टोरेशन) के लिए अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में निर्धारित किए गए अनुसार शुल्क का भुगतान करना होगा।

4.6 गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाली श्रेष्ठ कार्य निष्पादन वाली संस्थाएं जैसे कि एनबीए से पाठ्यक्रमों का प्रत्यायन प्राप्त करना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमोदित स्वायत्तता धारित को अभातशिप द्वारा विधिवत् मान्यता दी जाएगी अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार एक ही समय में एक से अधिक वर्षों के लिए अनुमोदन देने पर विचार किया जाएगा।

ऐसे संस्थान जिसके कार्यक्रम/पाठ्यक्रमों को एक से अधिक वर्ष के लिए अनुमोदित किया जाता है। वे ईओए डाऊनलोड करने के लिए डाटा अपलोड करेंगे।

4.7 विदेशी राष्ट्रिकों/विदेशी भारतीय नागरिकों/भारतीय मूल के नागरिकों (ओसीआई/पीआईओ)/खाड़ी देशों में कार्यरत भारतीय मजदूरों के बच्चों के लिए 15 प्रतिशत अतिरिक्त सीटें होंगी, जिनमें से ⅓ सीटें खाड़ी देशों में कार्यरत भारतीय मजदूरों के बच्चों के लिए होंगी। दिए गए पाठ्यक्रमों में खाड़ी देशों में कार्यरत भारतीय मजदूरों के बच्चों के लिए आरक्षित श्रेणी की ⅓ सीटें ओसीआई/पीआईओ/विदेशी राष्ट्रिकों के ⅔ कोटे में परिवर्तित की जा सकती हैं तथा इसके विपरीत परिवर्तित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, संबंधित राज्य सरकार के प्रवेश के अंतिम चरण के समाप्त होने के पश्चात् रिक्त बची सीटों को अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में

दिए गए अनुसार अपेक्षित अवसंरचना को पूरा किए जाने के अध्यधीन विदेशी राष्ट्रिकों/विदेशी भारतीय नागरिकों/भारतीय मूल के नागरिकों (ओसीआई/पीआईओ)/खाड़ी देशों में कार्यरत भारतीय मजदूरों के बच्चों के द्वारा भरी जा सकती है।

4.8 शिक्षण शुल्क माफी योजना के अंतर्गत अतिरिक्त सीटों के सृजन का प्रावधान अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में दिए गए अनुसार सभी तकनीकी संस्थाओं पर लागू होगा।

4.9 पाठ्यक्रम/संस्थान बंद करने के मामले में, यदि एक बार आवेदन पर प्रक्रमण आरंभ कर दिया जाता तथा केंद्रीय अथवा राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/संबद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय/बोर्ड/ट्रस्ट से अनापत्ति प्रमाण पत्र न जमा करने के कारण अभातशिप द्वारा निर्धारित परिपत्र में अस्वीकृति जारी कर दी जाती हैं तो प्रक्रमण शुल्क वापस नहीं लौटाया जाएगा।

4.10 मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निदेश जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े जिलों में/नक्सल प्रभावित जिलों (एलडब्ल्यूई) में इंजनियरिंग महाविद्यालय/तकनीकी संस्थान स्थापित करने हेतु पालीटैक्निकों पर उप—मिशन योजना, सभी वित्तीय अन्तरणों हेतु डिजिटल भुगतान, राष्ट्रीय शैक्षणिक निक्षेपागार (एनएडी) तथा अन्य योजना(ओं) का अनुपालन अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में दिए गए अनुसार होगा।

4.11 परिषद् समय—समय पर, अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका प्रकाशित करेगी, जिसमें संस्थाओं/प्रवर्त्तकों के लिए आवेदनों के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों, जमा किए जाने वाले शुल्कों, मानकों, आवेदनों पर प्रक्रमण के लिए पद्धति तथा अनुमोदन की अपेक्षाओं का विवरण दिया जाएगा।

4.12 इन विनियमों के खंड 4.1 और 4.2 के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का प्रक्रमण अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में विनिर्दिष्ट पद्धतियों, मानकों एवं सन्नियमों एवं परिषद् द्वारा समय—समय पर अधिसूचित किए गए अनुसार तथा इसके साथ—साथ विद्यमान केंद्र, राज्य तथा स्थानीय कानूनों के अनुसार किया जाएगा।

4.13 इन विनियमों के खंड 4.1 तथा 4.2(ञ) के अंतर्गत सूचीबद्ध प्रयोजनों के लिए अनुमोदन हेतु आवेदन निम्न द्वारा किए जाएंगे :

क) सोसाईटी/न्यास के मामले में अध्यक्ष/सचिव/प्रधान ;
ख) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अधीन स्थापित की गई कंपनी के मामले में प्रबन्ध निदेशक अथवा कोई प्राधिकृत अधिकारी ; तथा
ग) केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के मामले में संबंधित केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र द्वारा प्राधिकृत किया गया कोई अधिकारी अथवा उनके द्वारा सार्वजनिक—निजी भागीदारी व्यवस्था के अंतर्गत पंजीकृत, कोई सोसाइटी अथवा न्यास अथवा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अधीन निगमित कम्पनी, जैसा भी मामला हो।

4.14 इन विनियमों की धारा 4.2, ((ञ) को छोड़कर) के अंतर्गत सूचीबद्ध प्रयोजनों के लिए अनुमोदन हेतु आवेदन तकनीकी संस्थान के प्राचार्य/निदेशक अथवा संस्था के प्रमुख अथवा ऐसी संस्था के प्रवर्त्तक द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अथवा न्यास/सोसायटी/कम्पनी के मामले में उसके अध्यक्ष/सचिव/प्रधान द्वारा किया जाएगा।

4.15 नए संस्थान स्थापित करने के लिए आवेदक अभातशिप द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट की गई अंतिम तिथि के भीतर अपेक्षित शुल्क जमा करके अभातशिप के वेब—पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जाना अपेक्षित है। प्रत्येक नए आवेदक को एक विशिष्ट व्यक्तिगत प्रयोक्ता पहचान (यूनिक यूजर आईडी) जारी की जाएगी।

इन विनियमों के खंड 4.1 और 4.2 के अंतर्गत सूचीबद्ध किए गए मामलों के लिए आवेदक को उसे आबंटित की गई विशिष्ट व्यक्तिगत प्रयोक्ता पहचान (यूनिक यूजर आईडी) का प्रयोग करते हुए कोरपरेट इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से अभातशिप द्वारा दी गई रीति से वेब—पोटल पर निर्धारित शुल्क जमा करके ऑनलाईन आवेदन जमा करना होगा, ऐसा ना करने पर आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

भुगतान की प्राप्ति के अध्यधीन ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। भुगतान की अन्तिम तिथि सहित अन्तिम तिथि तक जमा किए गए आवेदनों पर ही प्रक्रमण हेतु विचार किया जाएगा।

4.16 आवेदक को "अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में दिए गए प्रपत्र में, 100/–रू0 के गैर–न्यायिक स्टांप पेपर पर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी अथवा शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत रूप से शपथ ग्रहण किया गया यह शपथ–पत्र, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ यह कहा गया हो कि आवेदन में दी गई जानकारी सत्य है और यह कि यदि किसी भी समय में यह पाया जाता है कि जानकारी अथवा जानकारी के किसी भाग को छिपाया गया है और/अथवा उसका गलत निर्वचन किया गया है और/अथवा आवेदन में दी गई जानकारी असत्य है, तो परिषद् कोई भी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगी, जिसमें अनुमोदन का वापस लिया जाना/अनुमोदन प्रदान करने हेतु विचार न किया जाना और/अथवा ऐसी अन्य विधिक कार्रवाई, जो यह उपयुक्त समझे, करना शामिल है" जमा करना होगा।

4.17 सभी आवेदकों को 4.1 और 4.2 के अंतर्गत यथा लागू श्रेणी (यों) के लिए अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार एक ही आवेदन (सिंगल एप्लीकेशन) के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन करें।

पोर्टल से कमियों सम्बन्धी रिपोर्ट जारी (जैनरेट) की जा सकेगी।

आवेदक पोर्टल पर अन्तिम रूप से आवेदन जमा करने तक, पोर्टल पर अपेक्षित ऑनलाईन संशोधन कर सकता है।

"सम्मिट" टैब, दबाने के पश्चात्, जब तक आवेदन का प्रक्रमण पूरा नहीं हो जाता, तब तक डाटा में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता।

आवेदक को भुगतान के साक्ष्य, शपथ पत्र, जैनरेट की गई कमियों सम्बन्धी रिर्पोट तथा यथालागू दस्तावेज संलग्न करके, वेब–पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड किए गए आवेदन की मुद्रित प्रति सम्बन्धित क्षेत्रिय अधिकारी को जमा करनी होगी।

4.18 राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन तथा संबद्धक विश्वविद्यालय/बोर्ड, इन विनियमों के यथालागू खंड 4.1 के अधीन प्राप्त आवेदनों पर राज्य की संभावित योजना एवं वैध कारण सहित आवेदन प्राप्त होने की तिथि के **21 दिन** के भीतर अपने दृष्टिकोण अग्रेषित करेंगी। जिन्हें क्षेत्रीय समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान करने हेतु आगामी प्रक्रमण के लिए ध्यान में लाया जाएगा। यदि आवेदनो पर आगामी प्रक्रमण नहीं किया जाता है तो रू0 50,000/– (रूपये पचास हजार मात्र) की राशि काटकर प्रक्रमण शुल्क आवेदक को वापस कर दी जाएगी।

यदि राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, संबद्धक विश्वविद्यालय/बोर्ड के दृष्टिकोण अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में निर्दिष्ट निर्धारित समय–अनुसूची के अनुसार समय पर प्राप्त नहीं होते हैं, तो यह मान लिया जाएगा की उन्हे कोई आपति नहीं है तथा परिषद् आवेदनों पर प्रक्रमण हेतु आगे कार्रवाई करेगी। तथापि, परिषद् राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन/संबद्धक विश्वविद्यालय/बोर्ड से किसी संस्थान के विरूद्ध पूर्व में प्राप्त टिप्पणी, यदि कोई हो, पर विचार करेंगी।

4.19 *क)* 4.2 (क) तथा (च) के अंतर्गत आवेदित आवेदनों पर संवीक्षा नहीं की जाएगी, क्योकि इसकी प्रक्रिया स्व–प्रकटन आधारित है। यदि "कोई कमी नहीं" है तब 'प्रणाली' अनुमोदन प्रक्रिया में दिए गए अनुसार आवेदन किए गए अनुसार प्रवेश क्षमता आबंटित करेगी।

*ख)* यदि किसी संस्था की "अनुमोदित प्रवेश क्षमता" नियमित/प्रथम पाली पाठ्यक्रमों के लिए परिषद् द्वारा निर्धारित प्रवेश क्षमता के डिविजन आकार से कम है तो वे पोर्टल पर "कोई कमी नहीं" के अध्यधीन एनबीए से प्रत्ययान प्राप्त किए बिना/राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, संबद्धक विश्वविद्यालयों/बोर्ड से (अनापत्ति–प्रमाण पत्र) प्राप्त किए बिना स्वयं ही पूरे डिविजन आकार की प्रवेश क्षमता के लिए आवेदन कर सकते हैं तथा तद्नुसार संकाय विद्यार्थी अनुपात का अनुरक्षण कर सकते हैं। तथापि, दण्डात्मक कार्रवाई के अधीन आनेवाली संस्थाओं के मामले में यह लागू नहीं होगा।

*ग)* संस्था 'प्रभाग' में किसी नियमित/प्रथम पाली पाठ्यक्रमों की प्रवेश क्षमता में कमी के लिए राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, संबद्धक विश्वविद्यालयों/बोर्ड से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना पोर्टल पर स्वंय आवेदन कर सकती है तथा तद्नुसार, संकाय विद्यार्थी अनुपात का अनुरक्षण कर सकती है;

एनबीए के बिना परिषद् से, पूरे प्रभाग के लिए वास्तविक "अनुमोदित प्रवेश क्षमता" को वापस प्राप्त करने की अनुमति होगी।

*घ)* संस्थानों की समेकित सूची उनकी "अनुमोदित प्रवेश क्षमता" सहित अनुमोदन अथवा अन्य के लिए कार्यकारिणी समिति के समक्ष रखी जाएगी तथा इसी को वेब—पोर्टल पर भी अधिसूचित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यह भी की, संस्थान, अपने लोगिन के माध्यम से "अनुमोदित प्रवेश क्षमता" सहित अनुमोदन में विस्तार पत्र को मुद्रित कर सकते हैं।

*ङ)* इस प्रक्रिया पर अपील करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अंतिम आवेदन जमा करने से पूर्व ऑनलाईन कमीयों सम्बन्धी रिपोर्ट सहित आवेदन फॉर्म में संशोधन के विभिन्न अवसर दिए गए हैं।

4.20 इन विनियमों की धारा 4.1 के अंतर्गत आवेदन किए गए सभी आवेदनों का मूल्यांकन, क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा गठित की गई संवीक्षा समिति/पुनःसंवीक्षा समिति/विशेषज्ञ दौरा समिति (यथा लागू) द्वारा किया जाएगा।

संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी अथवा परिषद् का कोई अन्य अधिकारी संबंधित समितियों की सहायता करेगा तथा संबंधित समितियों के समक्ष प्रासंगिक अभिलेख और दस्तावेज रखेगा तथा बैठकों के आयोजन के लिए आवश्यक व्यवस्था करेगा; तथापि, वह समितियों का भाग नहीं होगा।

4.21 दस्तावेजों सहित आवेदन की हार्ड कॉपी संवीक्षा की तिथि को क्षेत्रीय कार्यलाय मे जमा करनी होगी, जिसके बिना संवीक्षा संचालित नहीं की जाएगी।

संवीक्षा समिति, उन आवेदकों को, जिन्होंने इन विनियमों की धारा 4.1 के अंतर्गत अपने आवेदन प्रस्तुत किए हैं, उन्हें प्रस्तावों के प्रस्तुतीकरण के लिए आमंत्रित करेगी। आवेदकों को, संवीक्षा के समय स्वयं—सत्यापित प्रतियों सहित **सभी** मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। आवेदक को यह परामर्श दिया जाता है कि वह संवीक्षा सूची का अनुपालन करे तथा अनुपस्थित न रहे।

इन विनियमों की धारा 4.2 की (ख), (ग), (घ), (छ) (ज) (झ) (ञ) और (ट) के अंतर्गत आवेदन करने वाले संस्थानों के संबंध में, संवीक्षा समिति आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी/दस्तावेजों के आधार पर प्रस्तावों का प्रक्रमण करेगी।

जिनके आवेदन इन विनियमों के धारा 4.2 के (ङ), (ठ) तथा (ड) के संबंध में प्राप्त हुए हैं उनके के लिए विशेषज्ञ दौरा समिति आयोजित की जाएगी

4.22 ऐसे आवेदनों के संबंध में जिनको संवीक्षा समिति द्वारा संस्तुत किया जाता है विशेषज्ञ दौरा समिति उन संस्थाओं का निरीक्षण करेगी।

4.23 संवीक्षा समिति/पुनःसंवीक्षा समिति/विशेषज्ञ दौरा समिति की रिपोर्टों को अपलोड करने का कार्य परिषद् के सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

4.24 संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी, कार्यकारिणी समिति के समक्ष रखने के लिए क्षेत्रीय समिति की सिफारिशों को अभातशिप के अनुमोदन ब्यूरो को अग्रेषित करते समय यह सत्यापित करेगा कि संवीक्षा समिति, पुनःसंवीक्षा समिति (यदि लागू है) विशेषज्ञ दौरा समिति तथा क्षेत्रीय समिति द्वारा, इन विनियमों और अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका के अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियाओं और मापदण्डों का अनुपालन किया गया है।

अभातशिप का अनुमोदन ब्यूरो भी संवीक्षा समिति, पुनःसमीक्षा संवीक्षा समिति विशेषज्ञ दौरा समिति तथा क्षेत्रीय समिति द्वारा विनियमों और अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका के अन्तर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियाओं और मापदण्डों के अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में सत्यापन करेगा।

4.25 क्षेत्रीय समिति की सिफारिशें तकनीकी संस्थाओं हेतु अनुमोदन की मंजूरी अथवा अन्यथा पर निर्णय लेने के लिए अभातशिप की कार्यकारिणी समिति के समक्ष रखी जाएंगी।

IndiaCode

4.26 परिषद् केवल स्वयं को इस बात से संतुष्ट कर लेने के पश्चात् ही की संस्थान अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में निर्दिष्ट सभी मानकों और सन्नियमों की पूर्ति करता है, अपेक्षित अनुमोदन की मंजूरी प्रदान करेगी। परिषद् के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह संस्थान की स्व–प्रकटीकरण सूचानाओं से संस्थान का निरीक्षण कर सकती है तथा यदि यह पाया जाता है सूचना गलत है, तो अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में दिए गए अनुसार दण्डात्मक कार्रवाई हेतु आरंम्भ कर सकती है।

4.27 ऐसे आवेदकों, जिनके आवेदनों को कार्यकारिणी समिति द्वारा धारा 4.1 (क), (ख), (घ) तथा (ड़) के अन्तर्गत आगामी प्रकमण हेतु संस्तुत किया जाता है उन्हें शपथ–पत्र सहित सिक्योरिटी डिपोजिट जमा करने (यदि लागू है) के लिए सूचित किया जाएगा।

संस्थान द्वारा अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में विनिर्दिष्ट राशि जमा की जाएगी, जो 10 वर्ष तक परिषद् के पास रहेगी।

4.28 तकनीकी संस्था द्वारा अभातशिप के पास ऑनलाईन जमा की गई प्रतिभूति जमा को दस वर्ष की अवधि के बाद/पाठ्यक्रम/संस्थान को बंद करने के मामले में संगत दस्तावेज जमा करने के अध्यधीन ही निकालने की अनुमति दी जाएगी। प्रतिभूति जमा पर प्रोद्भूत ब्याज परिषद् के पास क्रेडिट होगा जिसका प्रयोग अभातशिप द्वारा संकाय के लिए गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों तथा विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए किया जाएगा। तथापि, किसी मानक, शर्त और अपेक्षा के किसी उल्लंघन और/अथवा संस्था द्वारा गैर–निष्पादन और/अथवा संस्था के विरूद्ध शिकायतों के मामले में, जमा की अवधि, मामला–दर–मामला आधार पर यथानिर्णित, आगे और अवधि के लिए बढ़ाई जा सकती है और/अथवा उसे जब्त किया जा सकता है।

4.29 (क) कार्यकारिणी समिति/परिषद् का निर्णय अनुमोदन पत्र (एलओए) अथवा अस्वीकृति पत्र के (एलओआर) रूप में अभातशिप के वेब पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, जिसके साथ इन विनियमों की धारा 4.1 के अन्तर्गत जमा किए गए आवेदनों के साथ, अस्वीकृति का कारण एवं विनियमों की धारा 4.2 के अन्तर्गत जमा किए गए आवेदनों के साथ, अनुमोदन में विस्तार (ईओए) अथवा अन्य के लिए कारण भी सूचित किया जाएगा।

**यदि जारी किया गया, अनुमोदन पत्र की वैधता, अनुमोदन पत्र जारी करने की तिथि से दो वर्ष के लिए होगी, जो केवल चालू वर्ष में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करने तथा राज्य सरकार की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए होगी।** यहाँ तक कि, यदि संस्थान विश्वविद्यालय से गैर संबद्धता तथा राज्य सरकार की अपेक्षाओं को पूरा न करने के कारण चालू शैक्षणिक वर्ष में प्रवेश करने मे असफल रहता है तो **आगामी शैक्षणिक सत्र** के लिए अनुमोदन मे विस्तार हेतु अभातशिप वेब–पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन कर सकता है।

(ख) अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में दिए मानकों को पूरा किए जाने के संबंध में सत्यापन करने हेतु विद्यार्थियों का प्रथम बैच उत्तीर्ण होने से पूर्व, किसी भी समय विशेषज्ञ दौरा समिति (ईवीसी) संचालित की जा सकती है।

(ग) संस्थान/विश्वविद्यालय के नाम में परिवर्तन, महिला संस्थाओं का सह–शिक्षा संस्थान में परिवर्तन तथा सह–शिक्षा संस्थानों का महिला संस्थाओं में परिवर्तन, स्थल में परिवर्तन, संस्थान/पाठ्यक्रम/ओं को बन्द करने के लिए संस्थान को सम्बन्धित "अनापत्ति प्रमाण पत्र" (एनओसी) सम्बन्धित कैलेण्डर वर्ष के 31 दिसम्बर से पूर्व जमा करना होगा।

ऐसे विद्यमान संस्थान जिन्होंने संस्थान को बन्द करने के लिए आवेदन किया तथा कुछ कमियों के कारण परिषद् द्वारा उसे अनुमोदित नहीं किया गया है तो संस्थान को उस वर्ष के लिए शून्य प्रवेश क्षमता के साथ अनुमोदन में विस्तार (ईओए) प्रदान किया जाएगा। ऐसे संस्थान सभी विद्यार्थियों के पास हो जाने अर्थात नजदीकी अभातशिप अनुमोदित संस्थाओं में पुनःवितरित कर दिए जाने के पश्चात् सभी संगत दस्तावेज जमा करेगें तथा आधिकारिक तौर पर संस्थान को बन्द कर सकेंगे।

(घ) सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों की पात्रता अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका के अनुसार तथा केन्द्र सरकार/संबंधित राज्य सरकार/संघराज्य क्षेत्र की आरक्षण नीति के अनुसार होगी।

4.30 नई संस्थाएं, जिन्हें अनुमोदन–पत्र प्रदान किया गया है तथा विद्यमान संस्थाएं, जिन्हें नए पाठ्यक्रम(ओं), प्रभाग(ओं), कार्यक्रम(ओं), और प्रवेश क्षमता में परिवर्तन के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है, न्यूनतम अर्हताओं तथा वेतनमान के सम्बन्ध में परिषद् की नीति के अनुसार शिक्षण कर्मियों तथा प्राचार्य/निदेशक, (यथाप्रकरण) की नियुक्ति का अनुपालन करेंगी।

अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर, शेष सभी शिक्षण संस्थाएं शिक्षण कर्मियों /प्राचार्य/निदेशक तथा अन्य तकनीकी सहायक स्टॉफ और प्रशासनिक स्टॉफ की नियुक्ति पूर्णतयः सम्बन्धित विश्वविद्यालय/बोर्ड की पद्धति तथा प्रक्रिया (विशेषतयः चयन प्रक्रिया एवं चयन समिति के सम्बन्ध में) के अनुरूप ही करेंगी।

स्टॉफ की नियुक्तियों संबंधी यह सूचना निर्धारित प्रपत्र में अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में निर्धारित अनुसूची के अनुसार अभातशिप के वेब–पोर्टल पर भी अपलोड करनी होगी।

4.31 आवेदक तकनीकी संस्था के नाम का इस प्रकार प्रयोग नहीं करेगी कि तकनीकी संस्था के नाम का संक्षिप्त रूप आईआईएम अथवा आईआईटी अथवा आईआईएससी अथवा एनआईटी अथवा अभातशिप अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग(यूजीसी) अथवा मानव संसाधन विकास मंत्रालय(एमएचआरडी) अथवा जीओआई बनता हो। आवेदक, सरकार, भारत, भारतीय, राष्ट्रीय, अखिल भारतीय, अखिल भारतीय परिषद्, आयोग शब्दों का अथवा संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग का निवारण) अधिनियम, 1950 के अंतर्गत निषिद्ध अन्य नामों का प्रयोग तकनीकी संस्था के नाम में कही भीं नहीं करेगा। परंतु यह भी कि, उपर्युक्त प्रतिबंध उस दशा में लागू नहीं होंगे, यदि तकनीकी संस्था भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई है अथवा इसका नाम भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है।

4.32 किसी भी स्थिति में, अभातशिप के बिना पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए तथा संबंधित विश्वविद्यालय/तकनीकी बोर्ड की सम्बद्धता प्राप्त किये बिना कोई भी तकनीकी संस्था काऊंसलिंग तथा प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेने तथा विद्यार्थियों को प्रवेश देने के लिए पात्र नहीं होगीं। संबद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय/बोर्ड ऐसी तकनीकी संस्थानों के विद्यार्थियों का नामांकन नहीं करेंगे, जिन्हें अभातशिप का पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं होगा।

4.33 संबंधित केन्द्रीय/राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन परिषद् के अपेक्षित अनुमोदन के बिना किसी तकनीकी संस्था को विद्यार्थियों के दाखिले के लिए अनुमति नहीं देगी।

4.34 सम्बन्धित डीटीई/राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन/संबद्धता प्रदान करने वाला विश्वविद्यालय/बोर्ड उनके क्षेत्राधिकार में आने वाली संस्थाओं की विभिन्न पाठ्यक्रमों की प्रवेश क्षमता, अपने लोगिन के माध्यम से वेब–पोर्टल से डॉऊनलोड कर सकते हैं।

4.35 आवेदक तकनीकी संस्थाओं से परिषद् को विभिन्न प्रयोजनों के लिए अपेक्षित जानकारी तथा दस्तावेज सही तथा पूर्ण प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है। यदि, दी गई जानकारी अथवा परिषद् को प्रदान किए गए दस्तावेज गलत, अपूर्ण पाए जाते हैं, और/अथवा आवेदक तकनीकी संस्थाएं वास्तविक जानकारी को प्रकट करने में असफल रहती हैं और/अथवा उन्होंने जानकारी छिपाई है/उसका गलत निर्वचन किया है, तो परिषद् इस संबंध में कार्रवाई करेगी, जिसमें अनुमोदन वापस लेना और/अथवा ऐसी अन्य कार्रवाई करना शामिल है, जो, आवेदक तकनीकी संस्थाओं के विरूद्ध किए जाने के लिए आवश्यक समझी जाएं।

4.36 अभातशिप, ऐसे मामलों में, जहां दस्तावेजों के गलत होने, यथाप्रकरण गलत निर्वचन किए जाने, मानकों और सन्नियमों के उल्लंघन, कदाचार इत्यादि की विशिष्ट शिकायतें हैं, तारीखों को अधिसूचित करके अथवा इसके बिना, समय–समय पर निरीक्षण भी कर सकेगी।

संस्थाएं, अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में दिए गए मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अनियत आकस्मिक निरीक्षण तथा उपयुक्त कार्रवाई कर सकने, जिसमें अनुमोदन वापस लेना तथा ऐसी अन्य यथाप्रकरण कार्रवाई शामिल हैं, जो, तकनीकी संस्थाओं के विरूद्ध किए जाने के लिए आवश्यक समझी जाए के अध्यधीन होंगी।

4.37 इन विनियमों की धारा 4.35 और 4.36 के अधीन विद्यमान पाठ्यक्रमों के अनुमोदन के विस्तार अथवा अनुमोदन के विस्तार की मंजूरी से इंकार किए जाने के मामले में, ऐसी संस्थाओं से अनुमोदन हेतु प्राप्त किसी आवेदन पर

तब तक विचार नहीं किया जाएगा, जब तक ऐसी कार्रवाई का निपटारा न कर लिया गया हो तथा प्रवर्त्तकों/संस्थाओं को उल्लंघनों के आरोपों से मुक्त न कर दिया गया हो।

4.38 सम्बन्धित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र ऐसी संस्थाओं के छात्रों का, जिसके कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों को परिषद् द्वारा समाप्त कर दिया गया है अथवा जिनका अनुमोदन वापस ले लिया गया/निलंबित कर दिया गया है, उसके साथ संबद्ध अन्य निकटवर्ती अभातशिप अनुमोदित विश्वविद्यालय/बोर्ड से संबद्धता प्राप्त तकनीकी संस्थाओं में पुनःवितरण करेगी और परिषद् पुनःवितरित किए गए छात्रों को, उनके कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों की समाप्ति तक, ऐसी संस्थाओं में उपयुक्त रूप से खपाने के लिए ऐसी संस्थाओं में अतिरिक्त सीटों की अनुमति देगी।

4.39 विद्यामान संस्थाओं के मामले में यदि विशेषज्ञ दौरा समिति (ईवीसी) संचालित की जाती है अथवा कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है तो इसे यथा लागू स्थाई सुनवाई समिति (एसएचसी) के समक्ष रखा जाएगा तथा अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में दिए गए अनुसार प्रक्रमण किया जाएगा। यदि संस्थान कार्यकारणी समिति के निर्णय से व्यथित है तो, संस्थान को अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में दिए गए अनुरूप परिषद् के सामने एक बार अपील करने का अधिकार होगा।

4.40 कुछ नियमित पाठ्यक्रमों को अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में दिए गए दिशा–निर्देशों के अनुसार विलय करने की अनुमति होगी जिसमें प्रवेश क्षमता अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका के अनुसार अधिकतम प्रवेशक्षमता के अध्यधीन, एक पााठ्यक्रम तथा प्रभाग के कुल जमा के बराबर होगी, बशर्ते कि विद्यार्थी संकाय अनुपात का अनुरक्षण किया जाए। पाठ्यक्रम के सभी प्रभागों के विलय पर ही विचार किया जाएगा। कुछ प्रभागों के आंशिक विलय की अनुमति नहीं होगी।

4.41 परिषद् के अनुमोदन के बिना तकनीकी कार्यक्रम/पाठ्यक्रम प्रदान करने वाली किसी भी संस्था को गैर–अनुमोदित घोषित किया जाएगा, यदि वह,

क) परिषद् के अनुमोदन के बिना आरंभ हुई है ; तथा
ख) परिषद् द्वारा "गैर–अनुमोदित" घोषित की गई है।

4.42 **परिषद् किसी संस्था को कोई सशर्त अनुमोदन नहीं देगी।**

4.43 असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत, यदि पूर्वास्थिति की वापसी/दण्डात्मक कार्रवाई (शास्ति को छोड़कर) परिषद् द्वारा प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के 30 अप्रैल के पश्चात् अनुमोदित की जाती है तो वह केवल आगामी शैक्षिणक वर्ष के लिए लागू होगी।

4.44 डिग्री/स्नात्तकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा कार्यक्रमों मे पार्श्विक प्रवेश के अंतर्गत दाखिले।

(क) डिप्लोमाधारक तथा बी.एससी. डिग्री धारक **द्वितीय वर्ष इंजीनियरी डिग्री पाठ्यक्रमों में संस्वीकृत प्रवेश क्षमता के अधिकतम 20 प्रतिशत तक प्रवेश के लिए पात्र होंगे**, (जबकि अंडमान, निकोबार, लक्षद्वीप, दीव एवं दमन में स्थित संस्थानों के लिए यह 30 प्रतिशत होगी) अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में दिए गए अनुसार जोकि अनुमोदित प्रवेश क्षमता, जमा प्रथम वर्ष में न भरी गई रिक्तयों से अतिरिक्त होगी।

(ख) परंतु यह भी कि ऐसे विद्यार्थी, जिन्होंने भेषजी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूरा किया है, **वे द्वितीय वर्ष भेषजी डिग्री पाठ्यक्रमों में संस्वीकृत प्रवेश क्षमता** के अधिकतम 10 प्रतिशत तक प्रवेश के लिए पात्र होंगे, (जबकि अंडमान, निकोबार, लक्षद्वीप, दीव एवं दमन में स्थित संस्थानों के लिए यह 20 प्रतिशत होगी), अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में दिए गए अनुसार जोकि अनुमोदित प्रवेश क्षमता जमा प्रथम वर्ष में न भरी गई रिक्तयों से अतिरिक्त होगी।

(ग) परंतु यह भी कि ऐसे विद्यार्थी, जिन्होंने 10+2 स्तर पर अथवा स्नातक स्तर पर गणित पाठ्यक्रम के साथ बीसीए, बी.एस–सी. (आई.टी./कम्प्यूटर विज्ञान) में न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि का स्नातक उपाधि पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है, वे **द्वितीय वर्ष एमसीए पाठ्यक्रमों में संस्वीकृत प्रवेश क्षमता** के अधिकतम 20 प्रतिशत तक प्रवेश के लिए पात्र होंगे, (जबकि अंडमान, निकोबार, लक्षद्वीप, दीव एवं

दमन में स्थित संस्थानों के लिए यह 30 प्रतिशत होगी) अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में दिए गए अनुसार जोकि अनुमोदित प्रवेश क्षमता, जमा प्रथम वर्ष में न भरी गई रिक्तयों से अतिरिक्त होगी।

(घ) ऐसे विद्यार्थी, जिन्होंने 12वीं विज्ञान (जिसमें गणित एक विषय के रूप में शामिल हो) अथवा व्यवसाय (ओआर) सहित, 12वीं विज्ञान तकनीकी सहित, 12वीं विज्ञान अथवा 10वीं + (2 वर्षीय आईटीआई डिप्लोमा) उपयुक्त विशेषज्ञता में किया हो वे इस क्रम में **उपयुक्त कार्यक्रम के डिप्लोमा पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में** संस्वीकृत प्रवेश क्षमता के अधिकतम 20 प्रतिशत तक प्रवेश के लिए पात्र होंगे, (जबकि अंडमान, निकोबार, लक्षद्वीप, दीव एवं दमन में स्थित संस्थानों के लिए यह 30 प्रतिशत होगी) अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में दिए गए अनुसार जोकि अनुमोदित प्रवेश क्षमता, जमा प्रथम वर्ष में न भरी गई रिक्तयों से अतिरिक्त होगी।

## 5. स्थाई अपीलीय समिति के समक्ष अपील

5.1 परिषद् की कार्यकारिणी समिति के निर्णय से व्यथित संस्था/आवेदकों को **अस्वीकृति पत्र (एलओआर) जारी होने की तिथि के 10 दिन के भीतर** कमियों को पूरा करने के संबंध में, परिषद् के समक्ष केवल एक बार अपील करने की अनुमति होगी। ऐसे संस्थानों को अध्यक्ष, अभातशिप द्वारा गठित स्थाई अपीलीय समिति के समक्ष प्रस्तुत होने की अनुमति होगी। परिषद् का निर्णय 30 अप्रैल तक अथवा उससे पूर्व अपलोड कर दिया जाएगा।

5.2 परिषद् का एक अधिकारी स्थाई अपीलीय समिति के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत करेगा। संस्था के एक प्रतिनिधि को स्थाई अपीलीय समिति के समक्ष संस्था का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

5.3 स्थाई अपीलीय समिति की सिफारिशें अभातशिप की परिषद् के समक्ष रखी जाएंगी, जिसका निर्णय अंतिम होगा। ऐसे मामले में जहॉ, परिषद् की बैठक प्रस्तावित नहीं होगी वहाँ स्थाई अपीलीय समिति की संस्तुतियां अध्यक्ष अभातशिप द्वारा अनुमोदित की जाएंगी तथा इसके पश्चात् इन्हें पुष्टि हेतु परिषद् के समक्ष रखा जाएगा।

5.4 परिषद् का निर्णय, 30 अप्रैल तक अथवा उससे पूर्व वेब—पोर्टल के माध्यम से अंतिम अनुमोदन पत्र/अस्वीकृति पत्र के रूप में आवेदक को सूचित किया जाएगा। प्रस्ताव की अस्वीकृति के मामले में, आवेदन की अस्वीकृति का कारण भी दिया जाएगा।

## 6. भूमि तथा निर्मित क्षेत्र की आवश्यकता

6.1 किसी नई तकनीकी संस्था की प्रवर्त्तक सोसाइटी/न्यास/कंपनी के पास अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में दिए गए अनुसार अपेक्षित भूमि अपने विधिसम्मत कब्जे में, प्रवर्त्तक सोसाईटी/न्यास/कंपनी के नाम पर प्रस्ताव जमा करने की तिथि तक या उससे पूर्व, स्पष्ट हक के साथ, यथाअपेक्षित और निर्दिष्ट भूमि होनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त यह भी कि, प्रस्तावित संस्थाओं की प्रवर्तक सोसाईटी न्यास/कम्पनी के लिए यह खुला रहेगा कि वह अनुमोदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात् केवल तकनीकी संस्था के विकास हेतु संसाधन विकसित करने के उद्देश्य से ही उस भूमि को रेहन (Mortgage) पर दे सकती हैं, जिस भूमि पर तकनीकी संस्था स्थित है।

इसके अतिरिक्त यह भी कि, विद्यमान संस्थान की प्रवर्त्तक सोसाईटी न्यास/कम्पनी के लिए यह खुला होगा कि वह आवश्यक भूमि संबंधी विद्यमान मानकों में आवश्यक भूमि की सीमा को कम करने के कारण शेष बची अतिरिक्त भूमि में अन्य शैक्षिक पाठ्यक्रम/संस्थान (तकनीकी/गैर तकनीकी) चला सकती है। तथापि, संस्था द्वारा इस शेष बची भूमि का उपयोग संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा सोसाइटी/न्यास/कंपनी को दिए गए "उपयोग—प्रमाण पत्र" में दिए गए उद्देश्यों के लिए ही किया जा सकता है, बशर्ते की ऐसे पाठ्यक्रम/संस्थान के लिए अलग से अपनी सुविधाएं हों और उसके लिए पहले से अनुमोदित संस्थान की अनिवार्य सुविधाओं जैसे की कक्षा के कमरे, प्रयोगशाला इत्यादि को सांझा नहीं किया जाएगा। तथापि, सामान्य सुविधाएं जैसे कि कैंटीन, सभागार, खेल मैदान, वाहन खड़े करने का स्थान (पार्किंग) इत्यादि का सभी विद्यार्थियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए सांझा प्रयोग किया जा सकता है।

6.2 नए तकनीकी शिक्षा संस्थान की प्रवर्त्तक सोसाईटी/न्यास कम्पनी संस्थान स्थापित करने हेतु अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में विनिर्दिष्ट समय–समय पर संशोधित किए गए अनुसार यथालागू अपेक्षित निर्मित क्षेत्र का निर्माण करेगी।

## 7. निदेशक/प्राचार्य और संकाय सदस्यों एवं विद्यार्थियों के संबंध में जानकारी

सभी तकनीकी संस्थाएं उनके निदेशक/प्राचार्य, संकाय सदस्यों एवं विद्यार्थियों के संबंध में जानकारी परिषद् के वेब–पोर्टल पर उपलब्ध प्रपत्र में अपलोड करेंगी तथा समय–समय पर इस सूचना का अद्यतन करती रहेंगी। सभी संकाय सदस्यों के पैन कार्ड की स्कैन की गई प्रति, आधार कार्ड (यदि उपलब्ध हो) तथा फार्म–16 भी वेब–पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

## 8. अनुमोदन वापस लेना

यदि कोई तकनीकी संस्था संगत विनियमों के उपबंधों में से किसी का उल्लंघन करती है, तो परिषद्, स्थाई सुनवाई समिति (एसएचसी) के माध्यम से उपयुक्त जांच करने के पश्चात तथा स्थाई अपीलीय समिति (एसएसी) के माध्यम से संबंधित तकनीकी संस्था को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् इन विनियमों के अंतर्गत प्रदान किए गए अनुमोदन को वापस ले सकेगी। संस्थान को प्रदान किए गए अनुमोदन को वापस लेने के मामले में तकनीकी संस्थान/सोसाईटी/ न्यास/कम्पनी नया संस्थान स्थापित करने के दो वर्ष पूरे होने पर अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में परिभाषित किये गए अनुसार अनुमोदन हेतु नए सिरे से आवेदन कर सकती है।

## 9. शास्ति

इन विनियमों के उल्लंघन करते हुए चल रही तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाली कोई भी संस्था, विधिक सिविल कार्रवाई के लिए दायी होगी, जिसमें अनुमोदन, यदि कोई है, को वापस लिया जाना और/अथवा परिषद् द्वारा, इसके और/अथवा इसकी प्रवर्त्तक सोसाईटी/न्यास/कंपनी अथवा इससे सहयोजित व्यक्तियों के विरूद्ध यथा प्रकरण, विधिक आपराधिक कार्रवाई भी शामिल है।

परंतु यह और भी कि, यदि कोई तकनीकी संस्था इन विनियमों के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करती है, तो परिषद् ऐसी जांच करके, जो यह उपयुक्त समझे तथा संबंधित तकनीकी संस्था को मामले को स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में निर्दिष्ट यथा प्रकरण, कोई एक अथवा सभी कार्रवाईयां कर सकेगी।

## 10. विनियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई

### 10.1 अनुमोदन के विस्तार के लिए आवेदन प्रस्तुत न किया जाना/अधूरे आवेदन प्रस्तुत किया जाना

परिषद् द्वारा अनुमोदन के विस्तार करने हेतु तकनीकी संस्थाएं, निर्धारित प्रपत्र पर संगत संलग्नकों सहित, परिषद् को प्रत्येक वर्ष आवेदन अपलोड करेंगी, ऐसे आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि अनुसूची में दिये गये अनुसार होगी।

अनुमोदन के विस्तार के लिए आवेदन प्रस्तुत न किये जाने/अधूरे आवेदन प्रस्तुत किये जाने/गलत सूचना प्रस्तुत किए जाने संस्था के विरूद्ध उपयुक्त दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में संस्था परिषद् द्वारा निम्न दण्डात्मक कार्रवाईयों में से किसी एक अथवा अधिक की दायी होगी :

- एक शैक्षणिक वर्ष के लिए एनआरआई तथा अतिरिक्त सीटों के लिए अनुमोदन का निलम्बन
- संस्तुत प्रवेश क्षमता में कमी
- एक शैक्षणिक वर्ष के लिए एक/अधिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं (नो एडमिशन) स्थिति
- कार्यक्रम/पाठ्यक्रम के लिए अनुमोदन वापस लेना
- संस्था के अनुमोदन को वापस लेना

10.2 **अर्हक प्राचार्य/निदेशक की अपेक्षा की पूर्ति न किया जाना**

ऐसी संस्था, जिनके पास 12 माह की अवधि से अधिक के लिए पद के लिए, यथानिर्धारित अर्हता के अनुसार प्राचार्य/निदेशक नहीं होंगे, वे परिषद् द्वारा निम्न दण्डात्मक कार्रवाईयों में से किसी एक अथवा अधिक की दायी होंगी :

- संस्तुत प्रवेश क्षमता में कमी
- एक शैक्षणिक वर्ष के लिए प्रवेश नहीं (नो एडमिशन) स्थिति

10.3 **संकायः छात्र अनुपात की पूर्ति न होना, शिक्षण स्टाफ के लिए निर्दिष्ट वेतनमानों और/अथवा अर्हताओं का अनुपालन न किया जाना**

ऐसी संस्थाएं, जो 12 माह से अधिक के लिए यथानिर्दिष्ट संकाय : छात्र अनुपात का अनुरक्षण नहीं कर रही हैं, शिक्षण स्टॉफ के लिए निर्दिष्ट वेतनमानों और/अथवा अर्हताओं का अनुपालन नहीं कर रही हैं, वे परिषद् द्वारा निम्न दण्डात्मक कार्रवाईयों में से किसी एक अथवा अधिक की दायी होंगी :

- एक शैक्षणिक वर्ष के लिए एनआरआई तथा अतिरिक्त सीटों यदि कोई हों, के लिए अनुमोदन का निलम्बन
- संस्तुत प्रवेश क्षमता में कमी
- एक शैक्षणिक वर्ष के लिए संबंधित पाठ्यक्रम (ओं) में प्रवेश नहीं (नो एडमिशन) स्थिति
- संबंधित पाठ्यक्रम (ओं) के लिए अनुमोदन वापस लेना
- संस्था के अनुमोदन को वापस लेना

परिषद् संकाय सदस्यों एवं स्टॉफ के सदस्यों को नियमित वेतनमान वितरित न करने के लिए दण्डात्मक कार्रवाई कर सकती है।

10.4 **कम्प्यूटर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, प्रिंटरों, प्रयोगशाला उपस्करों, पुस्तकों, जर्नलों, पुस्तकालय सुविधाओं की अपेक्षाओं की पूर्ति न किया जाना**

जो संस्थाएं, यथानिर्दिष्ट कम्प्यूटर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, प्रिंटरों, प्रयोगशाला उपस्करों, पुस्तकों, जर्नलों एवं पुस्तकालय सुविधाओं की पूर्ति नहीं करेंगी, वे परिषद् द्वारा निम्न दण्डात्मक कार्रवाईयों में से किसी एक अथवा अधिक की दायी होंगी :

- एक शैक्षणिक वर्ष के लिए एनआरआई तथा अतिरिक्त सीटों, यदि कोई हैं, के लिए अनुमोदन का निलंबन
- संस्तुत प्रवेश क्षमता में कमी
- एक शैक्षणिक वर्ष के लिए एक/अधिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं (नो एडमीशन) स्थिति
- कार्यक्रम/पाठ्यक्रम के लिए अनुमोदन वापस लेना
- संस्था के अनुमोदन को वापस लेना।

10.5 **तकनीकी संस्था के लिए अतिरिक्त अनिवार्य अपेक्षाओं की पूर्ति न किया जाना**

जो संस्थाएं निर्दिष्ट अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करेंगी, वे परिषद् द्वारा निम्न दण्डात्मक कार्रवाईयों में से किसी एक अथवा अधिक की दायी होंगी :—

- एक शैक्षणिक वर्ष के लिए एनआरआई तथा अतिरिक्त सीटों, यदि कोई हैं, के लिए अनुमोदन का निलंबन
- संस्तुत प्रवेश क्षमता में कमी
- एक शैक्षणिक वर्ष के लिए एक/अधिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं (नो एडमीशन) स्थिति

IndiaCode

10.6 **स्थापना के वर्ष/चालू वर्ष के समय पर आवश्यक भूमि तथा निर्मित क्षेत्र की पूर्ति न करना**
अस्थायी स्थानों और परिषद् द्वारा गैर–अनुमोदित स्थानों पर तकनीकी शिक्षा में पाठ्यक्रम/कार्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं तथा अपेक्षित आवश्यक निर्मित क्षेत्र की अपेक्षा पूरी न करने वाली संस्थाएं परिषद् द्वारा निम्न दण्डात्मक कार्रवाईयों में से किसी एक अथवा अधिक की दायी होंगी :–

- एक शैक्षणिक वर्ष के लिए एनआरआई तथा अतिरिक्त सीटों, यदि कोई हैं, के लिए अनुमोदन का निलंबन
- संस्तुत प्रवेश क्षमता में कमी
- एक शैक्षणिक वर्ष के लिए एक/अधिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं (नो एडमीशन) स्थिति
- कार्यक्रम/पाठ्यक्रम के लिए अनुमोदन वापस लेना
- संस्था के अनुमोदन को वापस लेना।

10.7 **द्वितीय पाली के लिए समय–सारणी/संकाय अपेक्षाओं का अनुपालन**

द्वितीय पाली घोषित समय सारणी दोपहर 1 बजे से 9 सायं बजे तक 50 प्रतिशत अतिरिक्त संकाय के साथ संचालित की जानी चाहिए, ये आकस्मिक निरीक्षण के अध्यधीन होगे तथा समय सारणी का अनुपालन न किए जाने तथा अपर्याप्त संकाय के लिए संस्थान को बंद किया जा सकता है।

10.8 **अधिक प्रवेश**
किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत सीट संख्या से अधिक प्रवेश देने की अनुमति नहीं होगी। यदि संस्था द्वारा अधिक प्रवेश की सूचना दी जाती है/परिषद् द्वारा यह पाया जाता है, तो संस्था के विरूद्ध उपयुक्त दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में संस्था परिषद् द्वारा निम्न दण्डात्मक कार्रवाईयों में से किसी एक अथवा अधिक की दायी होगी :–

- प्रत्येक अधिक प्रवेश के लिए प्रति छात्र वसूले गये कुल अधिक प्रवेश शुल्क (फीस) का पांच गुणा शास्ति उद्ग्रहित की जाएगी
- एक शैक्षणिक वर्ष के लिए एनआरआई तथा अतिरिक्त सीटों, के लिए अनुमोदन का निलंबन
- संस्तुत प्रवेश क्षमता में कमी
- एक शैक्षणिक वर्ष के लिए एक/अधिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं (नो एडमिशन) स्थिति
- कार्यक्रम/पाठ्यक्रम के लिए अनुमोदन वापस लेना
- संस्था के अनुमोदन को वापस लेना

10.9 **सम्बन्धित राज्य/शुल्क विनियामक समिति द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क प्रभारित करना**
तकनीकी संस्थान विद्याार्थियों से सम्बन्धित राज्य/शुल्क विनियामक समिति द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक कोई भी अन्य शुल्क (भुगतान/राशि) प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा चाहे यह किसी भी नाम से हो। यदि कोई संस्था उक्त दिशा–निर्देशों का पालन नहीं करती है तो वह परिषद् द्वारा निम्न दण्डात्मक कार्रवाईयों में से किसी एक अथवा अधिक की दायी होगी :–

- प्रत्येक राज्य/शुल्क विनियमक समिति द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक वसूले गए प्रत्येक अधिक शुल्क के लिए प्रति छात्र वसूले गये कुल अधिक फीस का दोगुनी शास्ति उद्ग्रहित की जाएगी तथा लिया गया अतिरिक्त शुल्क विद्यार्थी को वापस लौटाना होगा।
- एक शैक्षणिक वर्ष के लिए एनआरआई तथा अतिरिक्त सीटों, यदि कोई हों, के लिए अनुमोदन का निलंबन
- संस्तुत प्रवेश क्षमता में कमी
- एक शैक्षणिक वर्ष के लिए एक/अधिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं (नो एडमिशन) स्थिति
- कार्यक्रम/पाठ्यक्रम के लिए अनुमोदन वापस लेना
- संस्था के अनुमोदन को वापस लेना

10.10 **फीस वापसी के मामले**
क) ऐसे मामले जिनमें विद्यार्थी नया पाठ्यकम आरंम्भ होने से पूर्व, अपना प्रवेश वापस ले लेता है, संस्थान को विद्यार्थी से लिए गए शुल्क में से केवल प्रक्रमण शुल्क काटकर (जो कि रू 1000/– (रूपये एक

हजार मात्र) से अधिक नहीं होगा) सम्पूर्ण शुल्क विद्यार्थी को वापस करना होगा। संस्थान को विद्यार्थी के स्कूल/संस्थान छोड़ने के मूल प्रमाण—पत्र को रखने की अनुमति नहीं होगी यदि विद्यार्थी पाठ्यकम में शामिल होने (ज्वाईनिंग) के पश्चात् पाठ्यक्रम छोड़ता है तथा परिमाणताः खाली सीट को प्रवेश की अंतिम तिथि तक किसी अन्य विद्यार्थी द्वारा भर लिया जाता है, तो संस्थान को उसके द्वारा लिए गए शुल्क से अनुपातिक रूप से मासिक शुल्क तथा जहाँ लागू हो, वहाँ छात्रावास का अनुपातिक किराया काटकर शेष शुल्क अनिवार्यताः छात्र को लौटाना होगा। यदि खाली सीट नहीं भरी जाती है, तो संस्थान को सुरक्षा जमा तथा मूल दस्तावजों को वापस लौटाना होगा। विद्यार्थी संस्थान के प्रवेश रद्द करने के पश्चात् किसी भी समय विद्यार्थी से आगामी वर्ष के शुल्क की माँग नहीं कर सकता। प्रमाण—पत्र एवं शुल्क 7 दिन के भीतर लौटा दिए जाएं।

ख) प्रवेश के रद्द होने पर फीस की वापसी के बारे में अभातशिप के दिशा—निर्देशों का पालन न करने वाली अथवा धन—वापसी में देरी करने वाली संस्थाएं, परिषद् द्वारा निम्न दण्डात्मक कार्रवाईयों में से किसी एक अथवा अधिक की दायी होंगी :—

- शुल्क (फीस) की वापसी के प्रत्येक मामले के लिए प्रति छात्र से वसूले गए कुल शुल्क के दो गुणा के समकक्ष का जुर्माना उद्ग्रहित किया जाएगा
- एक शैक्षणिक वर्ष के लिए, एनआरआई तथा अतिरिक्त सीटों के लिए अनुमोदन का निलंबन, यदि कोई हो
- संस्तुत प्रवेश क्षमता में कमी
- एक शैक्षणिक वर्ष के लिए एक/अधिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं (नो एडमिशन) स्थिति
- कार्यक्रम/पाठ्यक्रम हेतु अनुमोदन की वापसी

10.11 शास्ति की राशि अभातशिप के भुगतान की रीति से कॉपरेट इंटरनेट बैंकिग के माध्यम से प्रेषित की जाएगी

10.12 यदि शपथ पत्र में विनिर्दिष्ट कोई सूचाना गलत सिद्ध होती है तो, साक्षी के विरूद्ध विधिक कार्रवाई जिसमें दण्डात्मक कार्रवाई भी शामिल है, की जाएगी।

10.13 **अनुमोदन वापस लेने के मामले को छोड़कर दण्डात्मक कार्रवाई के विरुद्ध पूर्वास्थिति की प्राप्ति (रिस्टोरेशन) की प्रक्रिया**

प्रवेश क्षमता के लिए पूर्वास्थिति की प्राप्ति (रिस्टोरेशन) हेतु आवेदक को अध्याय—II के अंतर्गत आवेदन करना होगा। पूर्वास्थिति की प्राप्ति (रिस्टोरेशन) अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में दिए गए अनुसार विशेषज्ञ दौरा समिति द्वारा सभी अपेक्षाओं का सत्यापन करने के अध्यधीन होगी।

विशेषज्ञ दौरा समिति की रिपोर्ट अध्यक्ष अभातशिप द्वारा गठित की गई स्थाई सुनवाई समिति के समक्ष रखी जाएगी।

स्थाई सुनवाई समिति की संस्तुतियां आवश्यक अनुमोदन हेतु कार्यकारिणी समिति के समक्ष रखी जाएंगी। यथास्थिति रखे जाने के मामले में संस्थान को विस्तृत लिखित विवरण (स्पीकिंग आर्डर) जारी किया जाएगा।

परिषद् की कार्यकारिणी समिति के निर्णय से व्यथित किसी संस्था को अध्याय—I के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई के संबंध में यथास्थिति बनाये रखने के लिए आवेदन करने का अधिकार होगा। अपील पर प्रक्रमण अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में दी गई प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए किया जाएगा।

संस्थान को अपना मामला प्रस्तुत करने का अवसर देकर मामला स्थाई अपीलीय समिति के समक्ष रखा जाएगा। एसएसी की संस्तुतियों पर परिषद् द्वारा विचार किया जाएगा। अंतिम रूप से पूर्वास्थिति की प्राप्ति (रिस्टोरेशन) अथवा अन्य को संस्था को विस्तृत लिखित विवरण (स्पीकिंग आर्डर) द्वारा प्रेषित किया जाएगा।

10.14 **एफडीआर जारी करना**

परिपक्वता (मैच्योरिटी) के बाद एफडीआर के नवीनीकरण की अनुमति नहीं है। तथापि, स्वत (आटो) नवीनीकरण के मामले में एफडीआर छुड़ाने के लिए संबंधित बैंक की टिप्पणी प्राप्त करनी होगी।

यदि किसी भी संस्थान का किसी भी सरकारी निकाय/बैंक के साथ कोई भी वित्तीय गबन है, तो संस्थान को एफडीआर तब तक जारी नहीं की जाएगी जब तक की संस्थान को इस प्रकार के निकाय से अनापत्ति प्रमाण–पत्र (एनओसी) प्राप्त नहीं हो जाता है। संबंधित पार्टियों द्वारा मामले के निपटान के बाद ही अभातशिप द्वारा उपयुक्त तथा परिषद् के नियमानुसार कारवाई की जाएगी।

यदि कोई संस्थान/न्यास/सोसाईटी एफडीआर से संबंधित नियमों का उल्लंघन करती है, तो परिषद् उचित दण्डात्मक कारवाई करेगी।

**11. शिकायत मामले**

किसी संस्था के संबंध में शिकायत (ऐं) प्राप्त होने के मामले में इन पर अभातशिप के लोक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (जीआरसी) द्वारा प्रक्रमण किया जाएगा।

शिकायत, स्थाई शिकायत संवीक्षा समिति (एससीएससी) के समक्ष आगामी कार्रवाई के लिए रखी जाएगी। संस्थान के प्रतिनिधि को अपना दृष्टिकोण स्थाई सुनवाई समिति (एसएचसी) के सामने रखने के लिए बुलाया जाएगा। यदि आवश्यक हुआ तो शिकायतकर्ता को अपने खर्चे पर स्थाई शिकायत संवीक्षा समिति (एससीएससी) के समक्ष उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है। स्थाई शिकायत संवीक्षा समिति (एससीएससी) की सिफारिशों के आधार पर, संस्थान को चेतावनी या कारण बताओ नोटिस जारी किया जा सकता है या ईवीसी संचालित कि जा सकती है।

यदि शिकायत के आधार पर कोई ईवीसी या कोई कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था तो वह स्थाई सुनवाई समिति के समक्ष रखा जाएगा। संस्थान के प्रतिनिधि को अपना दृष्टिकोण स्थाई सुनवाई समिति (एसएचसी) के सामने रखने के लिए बुलाया जाएगा। यदि आवश्यक हुआ तो शिकायतकर्ता को अपने खर्चे पर स्थाई शिकायत संवीक्षा समिति (एससीएससी) के समक्ष उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है। स्थाई सुनवाई समिति की सिफारिशें अनुमोदन के लिए कार्यकारिणी समिति के समक्ष रखी जाएंगी। कार्यकारिणी समिति का निर्णय संस्थान को विस्तृत लिखित विवरण (detailed speaking order) के द्वारा सूचित किया जाएगा। यदि संस्थान कार्यकारिणी के निर्णय से व्यथित है तो, संस्थान को अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका के अध्याय–1 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार अपील करने का अधिकार होगा।

केन्द्रीय सर्तकता आयोग के दिशानिर्देश के अनुसार अनाम/झूठे नाम से शिकयतों पर प्रक्रमण नहीं किया जाएगा।

**12. दण्डात्मक कार्रवाई का अनुपालन**

किसी भी संस्था के विरूद्ध संबंधित कैलेण्डर वर्ष के 30 अप्रैल के पश्चात् की गई दण्डात्मक कार्रवाई आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिए लागू होगी।

**13. अध्यक्ष अभातशिप के पास प्रत्यायोजित शक्तियाँ**

परिषद् द्वारा अभातशिप के अध्यक्ष के पास दो कार्यकारिणी/परिषद् की बैठकों की समयावधि के बीच संस्थान को प्रेषित किए जाने वाले तात्कालिक मामलों पर निर्णय लेने की शक्ति प्रत्यायोजित की गई है। तथापि, ऐसे मामले पुष्टि हेतु आगामी कार्यकारिणी/परिषद् में रखे जाएंगे।

**14. संवीक्षा/ईवीसी संचालित करने हेतु प्रभार**

असाधारण परिस्थितियों में, यदि अतिरिक्त संवीक्षा/ईवीसी संचालित की जाएगी, तो आवेदक को अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में निर्धारित किए गए अनुसार शुल्क का भुगतान करना होगा।

**15. अनुमोदन पत्र (एलओए)/अनुमोदन में विस्तार पत्र (ईओए) जारी करने की समय–सीमा**

**पार्श्वनाथ चैरीटेबल ट्रस्ट एवं अन्य बनाम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् एवं अन्य नामक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) सिविल संख्या 9048/2012 पर भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 13.12.2012 में दिए गए आदेश को ध्यान में रखते हुए अनुमोदन पत्र (एलओए)/अनुमोदन में विस्तार पत्र (ईओए) प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के 30 अप्रैल के पश्चात् प्रदान नहीं किया जाएगा।**

ऐसे मामले में, जहाँ शैक्षणिक वर्ष के दौरान बाद में कमियों को पूरा कर लिया जाता है, तब असाधारण परिस्थितयों में ही, अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए अनुमोदन दिया जाएगा।

**16. सामाजिक दायित्व**

सामाजिक दायित्व की पूर्ति के क्रम में, प्रत्येक परिषद् अनुमोदित तकनीकी संस्था से यह अपेक्षा की जाती है कि वह प्रतिवर्ष कम से कम 100 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने हेतु राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचे (एनएसक्यूएफ) के अन्तर्गत संकलित कौशल विकास पाठ्यक्रम चलाए। ये कार्यक्रम उस स्थान के स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं पर आधारित होने चाहिएं, जहाँ पर वह संस्थान स्थापित है।

**17. कोई अन्य कौशल कार्यक्रम चलाना**

संस्थान, शिक्षा की गुणवत्ता के साथ कोई भी समझौता किए बिना, किसी भी अन्य विनियामक निकाय के कार्यक्रम चला सकता है। जिसके लिए वह संस्थान में विद्यमान सुविधाओं का प्रयोग कर सकता है अथवा नई सुविधाएं सृजित कर सकता है – वह ये पाठ्यक्रम उस सम्बन्धित विनियामक निकाय के द्वारा निर्धारित मानकों के अन्तर्गत दिए गए प्रावधान के अनुसार, अभातशिप का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करके ही चला सकता है।

**18. निर्वचन**

इन विनियमों के निर्वचन के संबंध में उठने वाले किसी भी प्रश्न का निर्णय परिषद् द्वारा किया जाएगा तथा परिषद् का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

**19. छूट देने की शक्ति**

परिषद् अपवादस्वरूप मामलों में, किसी कठिनाई के निवारण के लिए अथवा राष्ट्रहित में अथवा ऐसे अन्य कारणों से जिन्हें लिखित में अभिलेखित किया जाएगा, संस्था के किसी भी वर्ग अथवा श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध में छूट दे सकेगी।

प्रो. आलोक प्रकाश मित्तल, सदस्य–सचिव, अभातशिप

[विज्ञापन–III/4/असा./327/16(162)]

# ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION

## NOTIFICATION

New Delhi, the 30th November, 2016

## All India Council for Technical Education

## (Grant of Approvals for Technical Institutions)

## Regulations, 2016

**F. No. AB/AICTE/REG/2016**.—In exercise of its powers conferred under sub-section (1) of Section 23 read with Section 10 and Section 11 of the All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987) and in supersession of the All India Council for Technical Education (Grant of Approvals for the Technical Institutions) Regulations, **2012** notified in the Gazette of India **vide F.No. 37-3/Legal/AICTE/2012 dated 27th September, 2012** regarding grant of approval for starting new Technical Institutions, introduction of Courses or Programmes and increase/variations of intake capacity of seats for the Courses or Programmes, Extension of Approval and **F. No.: 37-3/Legal/2007 dated 12th January, 2007** regarding admissions under lateral entry in Degree Engineering Programme for the existing Technical Institutions, the All India Council for Technical Education makes the following Regulations:

**1. Short Title, Application and Commencement**

1.1 These Regulations shall be called the All India Council for Technical Education (Grant of Approvals for the Technical Institutions) Regulations, **2016.**

1.2 These Regulations shall apply to Technical Institutions conducting and /or intending to conduct technical education and such other Programmes and areas as notified by the Act.

1.3 Theyshall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Definitions**

In these Regulations, unless the context otherwise requires

2.1 "Academic Year" means AcademicYear of the concerned Affiliating University/ Board and/or Technical Institution.

2.2 "Act" means the All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987).

2.3 "AICTE Web-Portal" means web site hosted by the Council at URL www.aicte-india.org.

2.4 "APH" means Approval Process Handbook published by the AICTE every year prescribing norms and standards for processing the applications submitted for grant of various approvals.

2.5 "Applicant" means an applicant who makes an application to the Council for seeking any kind of approval under these Regulations.

2.6 "Approved Institution" means the Technical Institution approved by the Council.

2.7 "Break in EoA" means break in the approval of the Institution during the previous year(s).

2.8 "Chairman" means Chairman of the AICTE as described under sub-section 4(a) of Section 3 of the Act.

2.9 "Co-Ed Institution" means the Institution admitting male,female and transgender students.

2.10 "Commission" means University Grants Commission established under Section 4 of the University Grants Commission Act, 1956

2.11 "Company" means a Company established/registered under Section 8 of the Companies Act, 2013

2.12 "Competent Authority for Admission" means an organization that has, the legally delegated authority, capacity, or power to do admission to Technical Institutions in the State/UT concerned.

2.13 "Council" means All India Council for Technical Education established under Section 3 of the Act.

2.14 "Course" means one of the branch of learning in Programme such as Civil Engineering, Mechanical Engineering etc.

2.15 "Division" means

IndiaCode

A batch of maximum of Sixty (60) seats in Under Graduate Programme and Diploma in Engineering/ Technology/ Hotel Management and Catering Technology/ Applied Arts and Crafts, Post Graduate Programme in PGDM/ MBA/MCA excluding supernumerary seats, if any;

A batch of maximum of Forty (40) seats in Under Graduate and Diploma in Architecture/ Town Planning Programme excluding supernumerary seats, if any;

A batch of maximum of Fifty (50) Seats in Under Graduate in Pharmacy Programme excluding supernumerary seats, if any;

A batch of maximum of Sixty (60) Seats in Diploma in Pharmacy Programmeincluding supernumerary seats, if any;

A batch of maximum of Thirty (30) seats in Post Graduate Programme in Engineering/ Technology/ Hotel Management and Catering Technology/ Applied Arts and Crafts/ Architecture/ Town Planning;

A batch of maximum of Fifteen (15) seats in Post Graduate Programme in Pharmacy;

A batch of maximum of Sixty (60) seats in Integrated Degree in Engineering and Technology, Integrated Degree in MCA and Integrated Degree in MBA; and

A maximum of Ten (10) seats per year in Fellowship Programme in management.

2.16 "EoA" means Extension of Approval granted by AICTE for conduct of technical Programmes by an Institution.

2.17 "EVC" means Expert Visit Committee constituted by the Regional Officer as per the composition given in Approval Process Handbook to verify physically the infrastructural facilities of the applicant Institution.

2.18 "Executive Committee" means the Committee constituted by the Council under Section 12 of the AICTE Act.

2.19 "First Shift" means activities conducted in First spell of time (from 8 am to 4 pm) wherever two-Shift working exists.

2.20 "Foreign National" means the citizen of countries other than India who are not of Indian origin as defined under OCI/PIO.

2.21 "Government Aided Institution" means Technical Institution that meets 50% or more of its recurring expenditure out of the grant received from the Government or Government organizations.

2.22 "Government Institution" means Technical Institution established and / or maintained by the Government.

2.23 "Head of the Institution" means the Vice-Chancellor in case of a University or a Deemed to be University, the Principal or the Director or such other designation as the executive head of the Institution of the Technical Institution referred.

2.24 "Lateral Entry" means admission of students into second year of Diploma/Degree/MCAProgrammes as per Approval Process Handbook.

2.25 "Level" means Diploma, Post Diploma, Degree, Post Graduate Degree and Post Graduate Diploma Programmes.

2.26 "Minority Educational Institution" means a college or an educational Institution established and administered by a minority or minorities and recognized by Competent Authority as Minority College/Institution.

2.27 "NBA" means National Board of Accreditation, an autonomous body set up by AICTE, under Societies Registration Act, 1860.

2.28 "Non-Resident Indian (NRI)" means an Indian citizen who is ordinarily residing outside India and holds an Indian Passport.

2.29 "Overseas Citizen of India (OCI)" means a foreign national, who was eligible to become citizen of India on 26.01.1950 or was a citizen of India on or at any time after 26.01.1950 or belonged to a territory that became part of India after 15.08.1947. Minor children of such person are also eligible for OCI. However, if the applicant had ever been a citizen of Pakistan or Bangladesh, he/she will not be eligible for OCI.

2.30 "Part Time Programme" means activities conducted in evening time i.e. 5.30 pm to 9.30 pm (six days a week) wherever Single/Regular Shift working exists and are meant only for working professionals or professionals with at least two years of work experience.

IndiaCode

2.31 "Person of Indian Origin (PIO)" means a foreign citizen (except a national of Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, China, Iran, Bhutan, Sri Lanka and Nepal) who at any time held an Indian passport Or who or either of their parents/ grandparents/ great grandparents were born and permanent resident in India as defined in Government of India Act, 1935 and other territories that became part of India thereafter provided neither was at any time a citizen of any of the aforesaid countries; or who is a spouse of a citizen of India or a PIO.

2.32 "Programme" means the field of Technical Education, i.e. Engineering, Technology, MCA, Architecture, Town Planning, Management-MBA, Management-PGDM, Pharmacy, Hotel Management and Catering Technology, Applied Arts and Crafts and such other Programmes and areas as notified by the Act.

2.33 "Public Private Partnership (PPP)" means a partnership based on a contract or concession agreement, between a Government or Statutory entity on the one side and a private sector enterprise on the other side.

2.34 "Regional Committee" means a Committee established under Section 14 of the Act.

2.35 "SAC" means Standing Appellate Committee constituted by the Chairman as per the composition given in Approval Process Handbook for considering the Appeals of Technical Institutions.

2.36 "SCSC" means Standing Complaint Scrutiny Committee constituted by the Chairman for scrutiny of complaints received against the Technical Institutions.

2.37 "Second Shift" means activities conducted in 2nd spell of time (from 1 pm to 9 pm) wherever two-Shift working exists.

2.38 "Self-Financing Institution" means an Institution started by a Society/Trust/Company and does not receive grant/fund from Central and/or State Government and/or Union Territory Administration for meeting its recurring expenditure.

2.39 "Single Shift /Regular Shift" means where, educational activities of the Technical Institution are conducted between 9 am and 5 pm.

2.40 "Society" means a Society registered under Societies Registration Act, 1860.

2.41 "SHC" means Standing Hearing Committee constituted by the Chairman as per the composition given in Approval Process Handbook to review the EVC reports and replies received for Show Cause Notices, and forward its recommendations to EC for approval.

2.42 "State Level Fee Committee" means a Committee notified by the concerned State Government / UT Administration for regulation of fee to be charged by the Technical Institutions.

2.43 "Technical Institution" means an Institution set up by Government, Government Aided and Self-Financing/ Trust/ Society/ Company for conducting Courses/Programmes in the field of technical education, training and research in Engineering, Technology, MCA, Architecture, Town Planning, Management, Pharmacy, Hotel Management and Catering Technology, Applied Arts and Crafts and such other Programmes and areas as are notified by the Act.

2.44 "Trust" means a Trust registered under the Indian Trust Act, 1882 as amended from time to time or any other relevant Acts through the Chairman/President/Secretary of the Trust.

2.45 "University" means a University defined under Clause (f) of Section 2 of the University Grants Commission Act, 1956.

2.46 Any other word and expression used herein and not defined but defined in the All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987), shall have the same meaning respectively assigned to them in the said Act.

**3. Promoters of the Technical Institutions**

3.1 **A Technical Institution shall be established and administered by the following:**

a. A Society registered under the Societies Registration Act, 1860;

b. A Trust registered under the Indian Trust Act, 1882 as amended from time to time or any other relevant Acts through the Chairman/President/Secretary of the Trust;

c. A Company established under Section 8 of Companies Act, 2013;

IndiaCode

d. Central or State Government / UT Administration or by a Society or a Trust registered by them;

e. Apart from the above bodies as mentioned in (a), (b), (c) and(d), any other body formed under Public Private Partnership (PPP) or under Build Operate Transfer (BOT) mode through an Officer authorized by Central/State Government / UT; and

f. A Company as stipulated in Clause 2.11 of these Regulations, having any foreign equity directly or indirectly as shareholding shall not be permitted to apply for setting up a Technical Institution.

3.2 **Working of Technical Institution set up by the Company or PPP or BOT mode shall ensure the following:**

a. Not for profit making;

b. Income generated from operation of Technical Institution shall be utilized for working and development of the Technical Institution; and

c. There shall be no indirect holding.

**4. Grant of Approval for Technical Institutions through a single application**

4.1 **All Promoters of Technical Institutions shall seek prior approval of the Council for:**

a. Setting up new Technical Institution offering Technical Programme at Diploma/ Post Diploma/ Degree/ Post Graduate Degree and Post Graduate Diploma / Collaboration and Twinning Programme between Indian and Foreign Universities or Institutions in the field of Technical Education, Research and training;

b. Change of Site / Location of the existing Institution;

c. Closure of Institution;

d. Conversion of Women's Institution into Co-Ed Institution and vice-versa; and

e. Conversion of Diploma Level into Degree Level and vice-versa

4.2 **The Technical Institutions shall seek prior approval of the Council for:**

a. Extension of approval;

b. Increase in intake/addition of Course(s) in existing Courses in the Regular/First Shift in existing Institutions having valid NBA accredited Courses;

c. Addition of Integrated/ Dual Degree Course in the Regular/First Shift in existing Institutions having valid NBA accredited Courses;

d. Fellowship Programme in Management in existing Institutions having valid NBA accreditation for Management Programme;

e. Introduction / Continuation of supernumerary seats for OCI/PIO /Foreign Nationals /Children of Indian Workers in the Gulf Countries;

f. Introduction / Continuation of seats for sons/daughters of NRIs;

g. Reduction in intake;

h. Change in name of the Course/ Closure of Programme and/ or Course;

i. Change in name of the Institution;

j. Change in name of the Trust/ Society/ Company;

k. Change in Affiliating University/ Board;

l. Restoration of reduction in intake/ No Admission given based on the punitive action in the preceding Academic Year; and

m. Continuation of the Approval after a breakin the earlier approval;

4.3 No NOC from Affiliating University/ Board/ State Government/UT shall be required for reduction in intake to Non-Zero intake and closure of SecondShift Courses.

IndiaCode

4.4 For closure of PGDM Course, NOC from Affiliating University/ Board is not applicable. However, EVC shall be conducted and the applicant has to pay the fee as prescribed in Approval Process Handbook.

4.5 In Restoration of Courses where an EVC has to be conducted, the fee as prescribed in Approval Process Handbook has to be paid by the applicant.

4.6 Well performing institutes providing quality technical education such as getting accreditation of Courses by NBA, possess UGC approved autonomy shall be duly recognized by AICTE and considered for granting approvals for more than one year at a time as specified in APH.

Such Institutionswho have the approval to the Programme/Course for more than one year shall however upload the data for the downloading of EoA.

4.7 There shall be 15% supernumerary seats for Foreign Nationals / Overseas Citizen of India/ Persons of Indian Origin (OCI/PIOs) / Children of Indian Workers in the Gulf Countries in all the Courses, of which 1/3rd shall be reserved for Children of Indian Workers in the Gulf Countries.Any vacant seatin a given Course, out of 1/3rdseats reserved for Children of Indian Workers in the Gulf Countries shall be reverted to the quota of 2/3rdmeant for OCI/PIO / Foreign Nationals and vice-versa. Beside this, any vacant seat after the last round of the admission of the concerned State Government, may be filled with Foreign Nationals / Overseas Citizen of India/ Persons of Indian Origin (OCI/PIOs) / Children of Indian Workers in the Gulf Countries subject to approval from AICTE for the above quota and fulfillment of requisite infrastructure as per the Approval Process Handbook.

4.8 Mandatory provision of supernumerary seats under Tuition Fee Waiver Schemein all the Courses and Programmes shall be applicable to all Technical Institutions as per Approval Process Handbook.

4.9 Processing fee shall not be refunded in case of Closure of Institution/Course, once the application is processed and issued rejection due to non-submission of NOCs from State Government/UT/Affiliated University/Board/Trust in the format prescribed by the AICTE.

4.10 MHRD directives such as Scheme of "Sub-Mission on Polytechnics", to establish Engineering College/ Technical Institution in “Educationally Backward Districts/ Left Wing Extremism (LWE) affected” Districts;digital payment for all financial transactions; National Academic Depository (NAD) and any other scheme(s) shall be complied with as given in Approval Process Handbook.

4.11 The Council shall publish, from time to time, Approval Process Handbook detailing the documents to be attached to the application, the fee to be remitted, the norms and standards, requirements and the procedure by which the applications are processed for grant of approval of existing Institutions/ Promoters.

4.12 The applications received under Clauses 4.1 and 4.2 of these Regulations shall be processed as per the procedures, norms and standards prescribed in the Approval Process Handbook as notified by the Council from time to time in addition to the existing Central, State and Local laws.

4.13 The applications for approval for the purposes listed under Clause 4.1 and 4.2 (j) of these Regulations shall be made by :

a. The Chairman/Secretary/President in case of the Society / Trust;

b. Managing Director or any authorized Officer in case of Company established under Section 8 of Companies Act, 2013; and

c. An Officer authorized by the concerned Central Government /State Government/UT in case of Central or State Government/UT Administration or a Society or a Trust registered or a Company established under Section 8 of Companies Act, 2013 or under Public Private Partnership made by them, as the case may be.

4.14 The applications for approval for the purposes listed under Clause 4.2 except (j) of these Regulations shall be made by Principal/Director of the Technical Institution or Head of the Institution or an Officer of the Institution duly authorized by the Promoter of such Institution or Chairman/ Secretary/ President in case of the Trust/ Society/ Company.

4.15 The applicant shall apply on the AICTE Web-Portal for setting up a new Institution, after remitting a requisite fee within the specified deadline notified as by the AICTE from time to time. An unique USER ID will be allotted to each new applicant.

The applicant shall be required to submit online application for the cases listed in Clauses 4.1 and 4.2 of these Regulations using their unique USER ID allotted to them by remitting the prescribed fee through AICTE's payment gateway on the Web-Portal, through Corporate Internet Banking, failing which the application shall not be considered.

Applications shall be accepted subject to the realization of the Payment. Only those applications submitted till the last date including payment shall be considered for processing.

4.16 An Affidavit, in the format as given in the Approval Process Handbook, on a Non-Judicial Stamp Paper of ₹100/- duly sworn before a First Class Magistrate or Notary or an Oath Commissioner, inter alia, stating that the information given in the application is true and that if it is found at any time that any part of the information has been suppressed and/or misrepresented and /or the information given in the application is false, the Council will be free to take action including Withdrawal of Approval/ not considering for grant of approval and / or any other legal action as it may deem fit shall be submitted by the applicants.

4.17 All applicants shall apply online through a single application under the applicable category(ies) under Clauses 4.1 and 4.2, as per the conditions mentioned in Approval Process Handbook.

The portal permits the generation of deficiency report.

The applicants shall make necessary correctionsonline, till the finalsubmission of the application on the portal.

After pressing the "submit" tab, the data shall not be allowed for any further correction, till the processing of application is completed.

Applicants have to submit a print out of the online application uploaded on the Web-Portal along with the proof of payment, an affidavit, deficiency report generated and documents as applicable to the concerned Regional Office.

4.18 The State Government/UT Administration and the Affiliating University/ Board shall forward their views on the applications received under Clause 4.1 as applicable, with valid reasons along with the perspective plan of the State, within a period of **21 days** from the date of receipt of applications which shall be taken into account by the Regional Committee for further processing for grant of approval. If the application is not processed further, the processing fee after a deduction of  50000/- (Rupees Fifty thousand only) shall be refunded to the applicant.

If the views of the State Government/UT Administration and the Affiliating University/ Board are not received within a prescribed time schedule as mentioned in the Approval Process Handbook, it shall be presumed that they do not have any objection and the Council shall proceed further for processing of applications. However, the Council shall consider the previous communications, if any, received from the State Government/UT administration, the Affiliating University/ Board against any Institutions.

4.19 a. There is no scrutiny for applications applied under 4.2 (a) and (f),as the processing is based on self-disclosure. If there is "Zero Deficiency", then the system shall allot the intake applied for, as per the Approval Process Handbook.

b. Institutions having an "Approved Intake" less than a Division size in any of the Regular/ First Shift Courses as prescribed by the Council may apply for intake of full Division size themselves and shall maintain faculty student ratio accordingly, without NBA accreditation /NOC from Affiliating University/ Board/ State Government/ UT; subject to "Zero Deficiency" in the portal. However, this is not applicable in case of Institutions under penal action.

c. Institutions may apply for reduction in intake in any of the Regular/ First Shift Courses within a Division by themselves in the portal and shall maintain faculty student ratio accordingly, without NOC from Affiliating University/ Board/ State Government/ UT; the restoration to the original "Approved Intake" of full Division is permissible without NBA.

d. The consolidated list of all Institutions with the "Approved Intake" shall be placed before the Executive Committee for approval or otherwise and the same shall be notified on the Web-Portal. Further, the Institution shall print the Extension of Approval letter along with "Approved Intake" through the Institution login.

e. No appeal shall be allowed on this procedure since an applicant is allowed for corrections multiple times, along with generation of online Deficiency Report before final submission of the application.

4.20 All applications applied under Clause 4.1 of these Regulations shall be evaluated by a Scrutiny Committee/Re-Scrutiny Committee/ Expert Visit Committee (as applicable) constituted by the Regional Officer.

Regional Officer or an Officer of the Council concerned shall assist the respective Committees and place relevant records and documents before them and make necessary arrangements for conduct of the meetings; however, he/she shall not be part of the Committee.

4.21 The hard copy of the application along with the documents shall be submitted on the date of Scrutiny at the Regional Office, failing which the Scrutiny shall not be conducted.

The Scrutiny Committee shall invite the Institutions applied under Clause 4.1of these Regulations, for presentation of their proposals. Applicants shall produce **ALL** the original documents along with self-attested copies at the time of Scrutiny. Applicants are advised to adhere to Scrutiny schedule and not to remain absent.

For Institutions applied under Clause 4.2 (b), (c), (d), (g), (h), (i), (j) and (k) of these Regulations, the Scrutiny Committee shall process the proposals based on the information/documents provided by the applicant.

For Institutions applied under Clause 4.2 (e), (l) and (m) of these Regulations, an Expert Visit Committee shall be conducted to the Institutions.

4.22 Expert Visit Committee shall visit the Institutions in respect of applications which are recommended by the Scrutiny Committee.

4.23 The uploading of the Scrutiny / Re-Scrutiny Committee Report/ Expert Visit Committee Report shall be done by the concerned Regional Office of the Council.

4.24 Regional Officer concerned while forwarding the recommendations of the Regional Committee to Approval Bureau of AICTE, for placing before the Executive Committee, shall verify that the processes and parameters prescribed under these Regulations and Approval Process Handbook are followed by the Scrutiny Committee, Re-Scrutiny Committee (if applicable), Expert Visit Committee and the Regional Committee.

The Approval Bureau of AICTE shall also verify that the processes and parameters prescribed under these Regulations and Approval Process Handbook are followed by the Scrutiny Committee, Re-Scrutiny Committee, Expert Visit Committee and the Regional Committee.

4.25 The recommendations of the Regional Committee shall be placed before the Executive Committee of AICTE to take decisions on grant of approval or otherwise to the Technical Institutions.

4.26 The Council shall grant the desired approvals only after confirming that the applicant meets all the norms and standards prescribed in Approval Process Handbook. From the self-disclosure information of the Institutions, the Council reserves the right to inspect and if it is found that information is false, then initiate penal action as per Approval Process Handbook.

4.27 Applicants, whose applications under Clause 4.1 (a), (b), (d) and (e) are recommended for further processing by the Executive Committee shall be informed for submission of Security Deposit (if applicable) along with an Affidavit.

The amount as specified in Approval Process Handbook shall be deposited by the Institution and remain with the Council for 10 years.

4.28 The online Security Deposit amount deposited by the Technical Institution with AICTE shall be permitted to be withdrawn after a term of ten years or in case of closure of Course/ Institution subject to the submission of relevant documents. The interest accrued on the Security Deposit shall be credited to the Council and shall be utilized by AICTE for Quality Improvement Programme for Faculty and giving scholarships to students. However, the term of the Security Deposit could be extended for a further period as may be decided on case to case basis and/or forfeited in case of any violation of norms, conditions and requirements and/or non-performance by the Institution and/or complaints against the Institution.

4.29 a. The decision of the EC/Council shall be uploaded in the Web-Portal in the form of a Letter of Approval (LoA) or Letter of Rejection (LoR) with the reasons for rejection for the applications submitted under Clause 4.1 of these Regulations and Extension of Approval (EoA) or otherwise for the applications submitted under Clause 4.2 of these Regulations.

**Validity of the Letter of Approval, if issued, shall be for two Academic Years from the date of issue of Letter of Approval,only for obtaining affiliation with the respective University/ Board and fulfilling State Government/UT requirements for admission in the current session**. Even if the Institution fails to admit the students in the current Academic Year due to non-affiliation by the University/ Board or non-fulfillment of State Government/UT requirements, the Institution shall apply online on AICTE Web-Portal for Extension of Approval for the **next Academic Session**.

b. An EVC may be conducted any time before the first batch of students have passed out, to verify the fulfillment of the norms as per Approval Process Handbook.

c. For Change in name of Institution/University, Conversion from Women's into Co-Ed and Vice-versa, Change in site, Closure of Institution/Course(s), the applicant shall submit the relevant NOCs at least before 31st December of the respective Calendar Year.

Applications of existing Institutions who have applied for Closure of Institution, and if such application is not approved by the Council due to certain deficiencies; the Institution shall be given EoA with ZERO Intake for that year. Such Institutions shall submit all relevant documents after all the students have passed out or redistributed to nearby AICTE approved Institutions and seek official closure of the Institution.

d. Student's eligibility for admission to all the Programmes shall be as per the Approval Process Handbook and as per the reservation policy of the Central Government/respective State Government / UT as the case may be.

4.30 New Institutions granted Letter of Approval and Existing Institutions granted approval for introduction of new Course(s), Division(s), Programme(s), variation in intake capacity shall comply with appointment of teaching staff and Principal/Director as the case may be, as per the policy of the Council.

Institutions other than Minority Institutions shall appoint teaching staff/ Principal/ Director and other technical supporting staff and administrative staff strictly in accordance with the methods and procedures of the concerned Affiliating University/ Board particularly in case of selection procedures and selection Committees.

The information about these appointments of staff in the prescribed format shall also be uploaded on the Web-Portal of AICTE as per the schedule prescribed in the Approval Process Handbook.

4.31 The applicants shall not name the Technical Institution in such a way that the abbreviated form of the name of the Technical Institution becomes IIM or IIT or IISc or NIT or AICTE or UGC or MHRD or GoI. The applicant shall also not use the word(s) Government, India, Indian, National, All India, All India Council, Commission anywhere in the name of the Technical Institution and other names as prohibited under the Emblems and Names (Prevention of Improper Use), Act, 1950. Provided that the restrictions mentioned above shall not be applicable, if the Technical Institution is established by Government of India or its name is approved by the Government of India.

4.32 In no eventuality, a Technical Institution without prior approval of the AICTE and Affiliating University/ Board concerned, shall be allowed to participate in the counselling and admission process and to admit students. Affiliating University/ Board shall not enroll students admitted in such Technical Institutions, which do not have requisite prior approval of the Council.

4.33 Central/State Government/UT Administration concerned shall not permit any Technical Institution without requisite prior approval of the Council to admit students.

4.34 DTE/State Government/UT/Affiliating University/ Board shall download the intakes for various Courses for the Institutions under their jurisdiction, from Web-Portal through their login.

4.35 The applicants are expected to provide the Council true and complete information and documents required for various purposes. If the information given and/or the documents provided to the Council are found to be false, incomplete and/or the applicants have failed to disclose factual information and/or suppressed/misrepresented the information, the Council shall initiate action including Withdrawal of Approval/or any other action as deemed necessary against the applicants.

4.36 AICTE shall also conduct from time to time inspections with or without notifying dates in such cases where specific complaints of falsification of documents, misrepresentation, violation of norms of standards, malpractices, etc. are received.

Institutions at random would be subjected to surprise inspection for the fulfillment of the norms of Approval Process Handbook and appropriate action including Withdrawal of Approval and any other action deemed necessary,shall be initiated against the applicants, as the case may be.

4.37 In the event of denial of Extension of Approval for the existing Courses or grant of Extension of Approval as per the Clauses 4.35 and 4.36 of these Regulations, such Institutions shall not be considered for Extension of Approval till such proceedings are settled and the Promoters/Institutions are cleared of the charges of violations.

4.38 The concerned State Government/ UT shall redistribute the students of the Institutions, whose Programmes/Courses have been discontinued by the Council or approval is withdrawn/suspended, to other nearby AICTE approved Technical Institutions affiliated to the University/ Board and the Council shall allow supernumerary seats in such Institutions to accommodate the redistributed students appropriately till they complete the Programmes/Courses.

4.39 In case of existing Institutions, if an EVC was conducted or Show Cause notice was issued, the same shall be placed before the Standing Hearing Committee (SHC) as applicable and processed as per the procedure given in Approval Process Handbook. If the Institution is aggrieved by the decision of the Executive Committee, the Institution shall have the right to appeal once to the Council, as per the procedure given in Approval Process Handbook.

4.40 Merging of certain regular Courses as per the guidelines given in the Approval Process Handbook are permitted so that the intake shall be equal to the sum total of the individual Courses and Divisions subject to a maximum intake as per Approval Process Handbook, provided the faculty student ratio be maintained. Merging is considered for all Divisions of a Course while partial merging of few Divisions is not permissible.

4.41 Any Institution offering technical Programmes/Courses without approval of the Council, shall be termed as unapproved if,

a. Started without approval by the Council; and

b. Declared as "Unapproved" by the Council.

4.42 **The Council shall not grant any conditional approval to any Institution.**

4.43 Under extraordinary circumstances, if restoration / Punitive action (except fine) is approved by the Council beyond 30th April of every Calendar year, the same shall be implemented for the next Academic Year only.

4.44 Admissions under lateral entry in Degree/Post Graduate Degree/Diploma Programme.

a. Diploma holders and B.Sc. Degree holders shall be **eligible for admission to Second year Engineering degree** up to a maximum of 20% of sanctioned intake (30% for Institutions in Andaman, Nicobar, Lakshadweep, Daman and Diu) which shall be over and above, supernumerary to the sanctioned intake, plus the unfilled vacancies of 1st year as per the Approval Process Handbook.

b. Provided that, students who have completed Diploma Course in Pharmacy shall be **eligible for admission to second year Pharmacy degree** up to a maximum of 10% of sanctioned intake (20% for Institutions in Andaman, Nicobar, Lakshadweep, Daman and Diu) which shall be over and above, supernumerary to the sanctioned intake, plus the unfilled vacancies of 1styear as per the Approval Process Handbook.

c. Provided that Students who have completed Bachelor's Degree of minimum 3 years duration in BCA, B.Sc. (IT/Computer Science) with Mathematics as a Course at 10+2 level or at Graduate level shall be **eligible for admission to second year MCA Course** up to a maximum of 20% of sanctioned intake (30% for Institutions in Andaman, Nicobar, Lakshadweep, Daman and Diu) which shall be over and above, supernumerary to the sanctioned intake, plus the unfilled vacancies of 1st year as per the Approval Process Handbook.

d. Students passing 12th Science (with Mathematics as one of the Subject) or 12th Science with Vocational (Or) 12th Science with Technical or 10th + (2 years ITI) with appropriate specialization in that order shall be **eligible for admission to second year Diploma Courses of appropriate Programme**, up to a maximum of 20% of sanctioned intake (30% for Institutions in Andaman, Nicobar, Lakshadweep, Daman and Diu) which shall be over and above, supernumerary to the sanctioned intake, plus the unfilled vacancies of 1st year as per the Approval Process Handbook.

IndiaCode

**5 Appeal before Standing Appellate Committee**

5.1 An Institution/applicant, if aggrieved by the decision of Executive Committee shall have the right to appeal once to the Council, about the compliance of the deficiencies, **within 10 days from the date of uploading of LoR.** Such Institution is permitted to appear before a Standing Appellate Committee constituted by the Chairman. The final decision of the Council shall be uploaded on or before 30th April of Calendar Year.

5.2 An Officer of the Council shall place the records before the Standing Appellate Committee. A representative of the Institution shall be invited to place the point of view of the Institution before the Standing Appellate Committee.

5.3 The recommendations of Standing Appellate Committee shall be placed before the Council of the AICTE, whose decision shall be final. In case, there is no proposed meeting of the Council, the recommendations of Standing Appellate Committee shall be approved by the Chairman and thereafter the same shall be placed before the Council for ratification.

5.4 The decision of the Council shall be communicated to the applicant in the form of a final Letter of Approval /Letter of Rejection through Web-Portal on or before 30thApril of Calendar Year, with the reasons for rejection of the application.

**6. Requirement of land and built-up area**

6.1 The Promoter Society/Trust/ Company of a new Technical Education Institution shall have the required land as mentioned in Approval Process Handbook in its lawful possession with clear title in the name of Promoter Society/ Trust/ Company on or before the date of submission of application.

Further to that it shall be open for the Promoter Society/Trust/ Company to the proposed Institution to mortgage the land after the receipt of letter of approval, only for raising the resources for the purpose of development of the Technical Education Institution situated on that land.

Further to that it shall be open for the Promoter Society/Trust/ Company of the existing Institution to run other Educational Courses/ Institutions (Technical/Non-Technical) in the surplus land arising out of prevailing/reduced norms of land requirement. However, such surplus land can be used as per the land use certificate given to the Society/ Trust/ Company by the concerned authority subject to such Courses/Institutions having their own facilities to conduct such Programmes without sharing the essential facilitiessuch as class room, laboratory etc.with the already approved Technical Institution. However, Common amenities such as Canteen, Auditorium, Playground, Parking, etc. may be shared provided it caters to all the students of all the Programmes.

6.2 The Promoter Society/Trust/ Company of a new Technical Education Institution shall have to construct the built-up area as per the requirements applicable for setting up of Institution as mentioned in the Approval Process Handbook amended from time to time.

**7. Information in respect of Director/Principal, Faculty members and students**

All Technical Institutions shall upload the information in respect of their Director/Principal, faculty members and students admitted in each Course in the format available on the Web-Portal of the Council and update the information from time to time. Scanned copies of PAN Card, Adhaar Card (If available) and Form 16 of all the faculty members shall also be uploaded on the Web-Portal.

**8. Withdrawal of Approval**

If any Technical Institution contravenes any of the provisions of relevant Regulations, the Council after making appropriate inquiry through Standing Hearing Committee (SHC) and after providing an opportunity of being heard through the Standing Appellate Committee (SAC) shall withdraw the approval granted. In case of Withdrawal of Approval to the Institution, the Technical Institution/Society/Trust/Company shall apply afresh for approval after completion of two Academic Years for setting up a new Institution as per the procedure defined in Approval Process Handbook.

**9. Penalty**

An Institution running any technical Programme in violation of these Regulations, shall be liable for initiation of legal action including Withdrawal of Approval, if any, and/or legal criminal action by the Council against the Institution and /or its Promoter Society/Trust/Company and individuals associated, as the case may be.

Further that, if any Technical Institution contravenes any of the provisions of these Regulations, the Council after making such inquiry as it shall consider appropriate and after giving Technical Institution concerned an opportunity to clarify the matter, shall take any or all actions as specified in the Approval Process Handbook and as the case may be.

**10. Action in case of violation of Regulations**

10.1 **Non-submission/submission of incomplete application for Extension of Approval**

The Technical Institutions shall upload the application in the prescribed format along with all relevant enclosures each year for Extension of Approval by the Council. The last date for receipt of such application shall be as mentioned in the schedule.

Non-submission / submission of incomplete / submission of false information, while applying for Extension of Approval shall invite appropriate penal action against the Institution. The Institution shall be liable to any one or more of the following punitive actions by the Council:

- Suspension of approval for NRI and supernumerary seats for one Academic Year
- Reduction in sanctioned intake
- No admission in one / more Courses for one Academic Year
- Withdrawal of approval for Programme / Course
- Withdrawal of approval of the Institution

10.2 **Non-fulfillment of requirement of qualified Principal/Director**

Institutions not having qualified Principal/ Director for a period, more than 12 months, shall be liable to any one or more of the following punitive actions by the Council:

- Reduction in sanctioned intake
- No admission for one Academic Year

IndiaCode

10.3 **Non-fulfillment of faculty student ratio, not adhering to pay scales and/or qualifications prescribed for teaching staff**

Institutions not adhering to pay scales and/or qualifications prescribed for faculty for more than 12 months and not maintaining prescribed faculty student ratio shall be liable to any one or more of the following punitive actions by the Council.

- Suspension of approval for NRI and supernumerary seats, if any, for one Academic Year.
- Reduction in sanctioned intake
- No admission in respective Course(s) for one Academic Year
- Withdrawal of approval in the respective Course(s)
- Withdrawal of approval of the Institution

The Council may also initiate penal action for not disbursing the salary of the faculty and staff members regularly.

10.4 **Non-fulfillment in Computer, Software, Internet, Printers, Laboratory Equipment, Books, Journals and Library facilities requirement**

Institutions not maintaining prescribed requirements of Computer, Software, Internet, Printers, Laboratory Equipment, Books, Journals and Library facilities shall be liable to any one or more of the following punitive actions by the Council:

- Suspension of approval for NRI and supernumerary seats, if any, for one Academic Year.
- Reduction in sanctioned intake
- No admission in one/more Courses for one Academic Year
- Withdrawal of Approval for Programme/Course
- Withdrawal of approval of the Institution

10.5 **Non-fulfillment in additional essential requirements for Technical Institution**

Institutions not maintaining prescribed requirements shall be liable to any one or more of the following punitive actions by the Council:

- Suspension of approval for NRI and supernumerary seats, if any, for one Academic Year
- Reduction in sanctioned intake
- No admission in one/more Courses for one Academic Year

10.6 **Non-fulfillment of land requirement and built-up area at the time of year of establishment or current year**

Institutions working in temporary location or at location not approved by the Council and Institutions not fulfilling prescribed built-up area requirements shall be liable to any one or more of the following punitive actions by the Council.

- Suspension of approval for NRI and supernumerary seats, if any, for one Academic Year
- Reduction in sanctioned intake
- No admission in one/more Courses for one Academic Year
- Withdrawal of approval for Programme/Course
- Withdrawal of approval of the Institution

10.7 **Non-adhering to the timing /faculty requirement for the Second Shift**

The Second Shift shall have to be run as per the declared timings from 1 pm to 9 pm with 50% additional faculty, which would be subject to surprise inspection leading to closure of Course in case timings are not being followed and with insufficient faculty.

IndiaCode

10.8 **Excess Admissions**

Excess admission over the sanctioned intake shall not be allowed under any circumstances. In case any excess admission is reported to/noted by the Council, appropriate penal action shall be initiated against the Institution. The Institution shall be liable to any one more of the following punitive actions by the Council:

- Penalty for excess admission fee amounting five times the total fee collected per student shall be levied against each excess admission.
- Suspension of approval for NRI and supernumerary seats for one Academic Year
- Reduction in sanctioned intake
- No Admission in one/more Courses for one Academic Year
- Withdrawal of Approval for Programme/Course
- Withdrawal of Approval of the Institution

10.9 **Charging excess fee than the fee prescribed by the concerned State/ Fee Regulatory Committee**

No Technical Institution shall be entitled to receive from the students any other fee (Payment/ Amount) whatever name it may be called in addition to the fee fixed by the State/ Fee Regulatory Committee. If any Institution does not follow the said guidelines, the Institution shall be liable to any one or more of the following punitive actions by the Council:

- Penalty for charging excess fee than the fee prescribed by the concerned State/ Fee Regulatory Committee levied against each case shall be twice the total fee collected per student and excess fee collected shall be refunded to the student
- Suspension of approval for NRI and supernumerary seats for one Academic Year
- Reduction in sanctioned intake
- No admission in one / more Courses for one Academic Year
- Withdrawal of approval for Programme / Course
- Withdrawal of approval of the Institution

10.10 **Refund cases**

a. In the event of a student withdrawing before the starting of the Course, the entire fee collected from the student, after a deduction of the processing fee of not more than ₹1000/- (Rupees One thousand only) shall be refunded

to the student by the Institution. It would not be permissible for Institutions to retain the School/Institution Leaving Certificates in original. Should a student leave after joining the Course and if the vacated seat is consequently filled by another student by the last date of admission, the Institution must return the fee collected with proportionate deductions of monthly fee and proportionate hostel rent, where applicable.In case the vacated seat is not filled, the Institution should refund the security deposit and return the original documents. Institution should not demand fee for the subsequent years from the students cancelling their admission at any point of time. Fee refund along with the return of certificates should be completed within 7 days.

b. Institutions not following guidelines issued by the Council regarding refund of fee on cancellation of admissions or delaying refunds shall be liable to any one or more of the following punitive actions by the Council:

- Fine for non-compliance of refund of fee levied against each case shall be twice the total fee collected per student
- Suspension of approval for NRI and supernumerary seats, if any, for one Academic Year
- Reduction in sanctioned intake
- No admission in one/more Courses for one Academic Year
- Withdrawal of approval for Programme/Course

10.11 Amount in respect of penalty shall be remitted through AICTE's payment gateway on the Web-Portal, through Corporate Internet Banking.

10.12 If any of the information mentioned in the Affidavit is proved as false, legal action including penal action shall be initiated on the deponent.

10.13 **Procedure for restoration against punitive action except in case of Withdrawal of Approval**

Applicant shall have to make an application for restoration of intake as per the Approval Process Handbook. The restoration is subject to Expert Visit Committee verifying all the requirements as per the Approval Process Handbook.

Expert Visit Committee report shall be placed before Standing Hearing Committee constituted by the Chairman AICTE.

Recommendations of the Standing Hearing Committee (SHC) shall be placed before the Executive Committee for necessary approval. In case of status quo, a Speaking Order shall be issued to the Institution.

The Institution shall have the right to appeal as per the procedure in Chapter I, if it is aggrieved by the decision of the Executive Committee for maintaining status quo on punitive action. Appeal shall be processed following the procedure given in Approval Process Handbook.

The case shall be placed before Standing Appellate Committee by giving an opportunity to the Institution for presenting its case. The recommendations of the SAC shall be considered by the Council. A final restoration in intake or otherwise shall be conveyed to the Institution through Speaking Order.

10.14 **Release of FDR**

Renewal of FDR after maturity is not permitted. However, in case of auto renewal, the remarks of the concerned Bank should be obtained for seeking the release of FDR.

If an Institution has any financial embezzlement with Government Bodies/Banks, then FDRs shall not be released to the Institution till the NOC from such body is received. AICTE shall initiate an appropriate action only after the issue is settled by the parties concerned and as per the norms of the Council.

In case Institution/ Trust/ Society/ Company violates the FDR related norms, the Council shall initiate appropriate penal action

**11. Complaint Cases**

In case of receipt of any complaint(s) about an Institution, the same shall be processed by Grievance Redressal Cell (GRC) of AICTE.

The complaint shall be placed before a Standing Complaint Scrutiny Committee (SCSC) for further necessary action. If necessary the complainant may be called to appear before SCSC at his/her own cost. Based on the recommendation of SCSC, a warning or Show Cause Notice may be issued to the Institution or EVC may be conducted.

If an EVC was conducted or Show Cause notice was issued based on complaints, the same shall be placed before the Standing Hearing Committee (SHC). A representative of the Institution shall be called to place their point of view before the Standing Hearing Committee. If necessary the complainant may be called to appear before SHC at his/her own cost. The recommendations of SHC shall be placed before the EC for approval. The decision of the EC shall be communicated to the Institution by a detailed Speaking Order. If the Institution is aggrieved by the decision of the EC, the Institution shall have the right to appeal as per the procedure in Chapter I of Approval Process Handbook.

As per CVC guidelines Anonymous/Pseudonymous complaints shall not be processed.

**12. Implementation of punitive action**

Punitive action to be taken against any of the Institutions after 30th April shall be applicable to the next Academic Year.

**13. Power delegated to Chairman of AICTE**

Council has delegated the power to the Chairman of AICTE for taking decision on urgent matters that needs to be communicated to the Institutions in between period of two EC/Council meetings. However, such cases shall be placed before the next EC/Council for ratification.

**14. Charges for conducting an Scrutiny/EVC**

In extraordinary circumstances, if additional Scrutiny/EVC is to be conducted, the applicant has to pay the fee as prescribed in Approval Process Handbook.

**15. Time Limit for the grant of LOA/EOA**

**LoA/EoA shall not be granted after 30th April of every Calendar Year in view of the order dated 13.12.2012 passed by the Hon'ble Supreme Court of India in CA no. 9048/2012 titled as Parsvanath Charitable Trust and others Vs AICTE and Ors**.

In case, the deficiencies are complied with subsequently during the Academic Year, the approval shall be granted under extraordinary circumstances, for the next Academic Year.

**16. Social responsibility**

As a part of discharging social responsibilities, all Technical Institutions approved by the Council are expected to conduct National Skill Qualification Framework (NSQF) complied skill development Courses to give training to a minimum of 100 students per year. These Programmes shall be based on the needs of the local community where the Institution is located.

**17. Conduct of any other Skill Development Courses**

The Institution may conduct skill development Courses of any other Regulatory Body by using existing facilities, or by creating additional facilities as per the provisions laid down in the norms and standards of the respective Regulatory Bodies without affecting the quality of education prescribed by both Regulatory Bodies after taking prior approval of the Council.

**18. Interpretation**

Any question arising out of the interpretation of these Regulations shall be decided by the Council and the decision of the Council shall be binding and final.

**19. Power to relax**

The Council shall in exceptional cases, for removal of any hardship or in the national interest or such other reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these Regulations in respect of any class or category of Institutions.

Prof. ALOK PRAKASH MITTAL, Member Secy., AICTE

[ADVT.-III/4/Exty./327/16 (162)]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2016.12.02 15:18:11 +05'30'